58

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

अठावनवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, **2023 /** फाल्गुन, **1944** (शक)

अठावनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

१३ मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
१३ मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना...................... (iii)

प्राक्कथन... (v)

भाग-एक पृष्ठ सं.

एक	प्रस्तावना	1- 7
दो	बजटीय आवंटन और उपयोगिता	8 - 21
तीन	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	22 - 31
चार	जनशक्ति की कमी	32 - 36
पांच	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)	37 - 39
छह	सातवीं आर्थिक जनगणना	40- 42
सात	सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता	43 - 47
आठ	परियोजनाओं की निगरानी और अवसंरचना	48- 49
	भाग-दो	
	समिति की टिप्पिणयां/सिफारिशें	50- 53
	अनुबंध	
	28.02.2023 और 15.03.2023 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश	54- 58

<u>वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना</u>

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ सुभाष रामराव भामरे .
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो .सौगात राय
15. श्री पी .वी .मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेट्टी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ) .प्रो (कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

22. डॉ राधा मोहन दास .अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी .चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा

26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशील कुमार मोदी
28. डॉ .अमर पटनायक
29. डॉ .सी .एम .रमेश
30. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायण	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री अभिरुची श्रीवास्तव	-	सहायक समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह अठावनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24) 08 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने **दिनांक** 28 **फरवरी**, 2023 **को** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

अध्याय – एक

प्रस्तावना-मंत्रालय का संक्षिप्त विवरण

क. संगठन और इसके कृत्य

1.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात् 15 अक्तूबर, 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में अस्तित्व में आया । मंत्रालय देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित और संगठित विकास और भारत सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारकों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नोडल एजेंसी है ।

1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है । मंत्रालय द्वारा जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षणों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा संचालित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है । मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रतिदर्श पद्धति पर आधारित होते हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है । आंकड़े समर्पित फील्ड स्टाफ के जरिए संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जाता है । मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए, राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मौजूदा मूल्य और लागत सूचकांकों की जांच की जाती है । मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है ।

1.3 मंत्रालय के दो स्कंध अर्थात् सांख्यिकी स्कंध, जिसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और कार्यक्रम कार्यान्वयन)पीआई (स्कंध है । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में दो प्रभाग हैं नामत: (i) अवसंरचना और परियोजना निगरानी तथा (ii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) है, जिसे भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से बनाया गया तथा दूसरा स्वायत्त संस्थान, नामत: भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) है, जिसे संसद के एक

अधिनियम "भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम 1959 का 057" द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हैं ।

ख. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

1.4 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है। इसकी गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जेंडर सांख्यिकी और आर्थिक गणना तथा सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राष्ट्रीय लेखों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/ संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी शामिल है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गतिविधियां मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के माध्यम से संचालित की जाती हैं । एनएसओ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में सहायता करता है तथा ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है ।

राष्ट्रीय लेखा

1.5 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्रों के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं । एनएडी इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है । एनएडी समय-समय पर आपूर्ति-उपयोग तालिकाएं (एसयूटी) तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं (आईओटीटी) तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। एनएडी राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखता है ।

1.6 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य की आय और संबंधित समुच्चयों के अनुमानों के समेकन पर राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है । इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा बड़े-क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) और सकल नियत पूंजी सृजन (जीएफसीएफ) के राज्य स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

1.7 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनएडी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद (जीएसडीपी/एनएसडीपी) के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है ।मम

1.8 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2022 में एनएडी द्वारा विभिन्न अनुमानों को जारी करने की अनुसूची नीचे दी गई है:

जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर

(1) वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही : 28 फरवरी 2022

(2) वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही : 31 मई 2022

(3) वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही : 31 अगस्त 2022

(4) वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही : 30 नवंबर 2022

प्रथम तिमाही: अप्रैल-जून, दूसरी तिमाही: जुलाई-सितम्बर, तीसरी तिमाही: अक्तूबर-दिसम्बर, चौथी तिमाही: जनवरी-मार्च

जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर

(1) वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान : 07 जनवरी 2022

(2) वर्ष 2020-21 के प्रथम संशोधित अनुमान : 31 जनवरी 2022

(3) वर्ष 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान : 28 फरवरी 2022

(4) वर्ष 2021-22 के अनंतिम अनुमान : 31 मई 2022

संवर्ग नियंत्रण-आईएसएस और एसएसएस

1.9 मंत्रालय का प्रशासनिक प्रभाग, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्गों के कार्यालयों के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें उनके प्रशिक्षण, कॅरियर की प्रगति और जनशक्ति आयोजना से संबंधित मामले शामिल हैं ।

ग. कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध

1.10 कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के निम्नवत् उत्तरदायित्व हैं:-

एक. यह मंत्रालय अवसंरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्‌युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क, रेलवे, पत्तन, नागर विमानन और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है । इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है ।

दो. 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली सभी केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी।

150 करोड़ रूपये से अधिक केंद्र क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी ऑनलाइन कंम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के जरिए की जाती है । आईपीएमडी के निरंतर प्रयास से बेहतर रिपोर्टिंग हुई और अब सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर उपक्रम ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे हैं । वास्तविक निष्पादन लक्षित तारीखों और मात्राओं की तुलना में माइलस्टोन और वास्तविक प्रगति के प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है जबकि वित्तीय निष्पादन प्रत्येक परियोजना संबंधी लिंक व्यय के संदर्भ में वार्षिक आधार पर आंका जाता है । आईपीएमडी निम्नलिखित रिपोर्टों को प्रकाशित करवाता है और इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजता है ।

तीन. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का कार्यान्वयन ।

एमपीलैड्स

1.11 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यक्रम संकध द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है । यह योजना मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सेट द्वारा शासित है जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है । एमपीलैड योजना का मूल उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कें आदि की टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय के रूप में, नीति निर्माण, निधि जारी करने और योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है । मंत्रालय सदस्यों को हकदारी निधियां जारी करता है और जारी की गई निधियों, कार्यों की लागत, स्वीकृत और व्ययित निधियों की समग्र स्थिति आदि की निगरानी करता है । यह योजना भारत सरकार से माननीय सांसदों द्वारा सिफारिश किए गए विकासात्मक सामुदायिक कार्यों के सृजन के लिए उपगत करने हेतु राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में सहायता अनुदान की योजना है । योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है । एमपीलैड्स की निर्धारित वार्षिक आबंटन की राशि लोक सभा तथा राज्य सभा के 790 माननीय सदस्यों के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति सांसद (प्रति वर्ष) की हकदारी के अनुसार 3950.00 करोड़ रुपए है । इस योजना के अंतर्गत सांसदों (लोक सभा व राज्य सभा दोनों) को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक की पूंजी के कार्यों के लिए संबंधित जिला कलक्टरों को सिफारिश करने का विकल्प है । यह राशि एमपीलैड्स प्रभाग द्वारा प्रति वर्ष दो किश्तों में जारी की जाती है । भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकरण को जारी की गई धनराशि व्यपगत नहीं होती है । जिले में बची राशि को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा । इसके अलावा, एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई धनराशि को बाद के वर्षों में जारी करने के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन आगे बढ़ाया जाएगा। जिला अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विद्यमान निर्देशों के अनुसार संसद सदस्य की सिफारिश पर विकास कार्यों का निष्पादन करते हैं ।

घ. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

1.12 भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 1 जून 2005 के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया । एनएससी अन्य बातों के साथ-साथ, सांख्यिकीय मामलों में नीतियां, प्राथमिकताओं और मानक तैयार करने के लिए आज्ञापित है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानकों की निगरानी/लागू करने के लिए तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है ।

1.13 एनएससी में चार अंशकालिक सदस्यों के अलावा एक अंशकालिक अध्यक्ष है, प्रत्येक विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेष विशेषज्ञता एवं अनुभव रखते हैं । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, आयोग के पदेन सदस्य हैं । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् एनएससी के सचिव हैं । एनएससी में एक स्थायी सचिवालय है जिसकी अध्यक्षता एक एसएजी स्तर का अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सहायक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की गई ।

1.14 आयोग को मुख्य कार्य देश में सांख्यिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यनीति तैयार करना है, इसके अलावा देश के सभी महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कार्यकलापों, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानक तैयार करने, निगरानी तथा लागू करने के लिए एक नोडल और सशक्त निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

ङ भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई)

1.15 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और सांख्यिकी में शोध, शिक्षण तथा संबंधित विषयों में इसके अनुप्रयोगों, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित है । संस्थान की स्थापना वर्ष 17 नवंबर 1931 में प्रो.पी.सी. महालानोबीस द्वारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में की गई थी । कोलकाता में स्थित मुख्यालय के अलावा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के दिल्ली, बंगलुरू, चेन्नै, तेजपुर (उत्तर-पूर्व केंद्र) में केंद्र हैं तथा मुंबई, पुणे, कोयंबटूर, हैदराबाद, गिरिडीह में इसकी कुछ दूरस्थ शाखाएं हैं । संस्थान ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की प्रतिष्ठा प्राप्त की है इसे "1959 के अधिनियम संख्या 057 भारतीय सांख्यिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है" । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अपने कार्यकरण, शैक्षणिक कार्यकलाप तथा अवसंरचना सृजन एवं प्रबंधन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है ।

पेशकश की जाने वाली डिग्रियां/पाठ्यक्रम

1.16 आईएसआई विभिन्न विषयों (स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, मास्टर तथा पीएचडी कार्यक्रम) के साथ सांख्यिकी गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस और समय-समय पर संस्थान द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु सांख्यिकी तथा इसके अनुप्रयोग रहता है । कई वर्षों से, संस्थान ने शोध एवं शैक्षणिक कार्यक्रम जो प्राकृतिक रूप से परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं, के लिए एक विशिष्ट सेट विकसित किया है । यह कार्यक्रम विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में एकत्रित विस्तृत डाटा के सांख्यिकीय मूल्यांकन

की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है । शैक्षणिक कार्यक्रमों में हाल ही में आईएसआई कोलकाता में क्रिप्टोलॉजी और सुरक्षा में एम. टेक और गिरिडीह शाखा में सांख्यिकीय विधियों और विश्लेषिकी (पीजीडीएआरएसएमए) के साथ कृषि और ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल किए गए हैं ।

आर. सी. बोस क्रिप्टोओलॉजी एंड सिक्यूरिटी केंद्र

1.17 आर.सी.बोस क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्यूरिटी केंद्र की स्थापना आईएसआई कोलकाता में गणित, संगणक विज्ञान तथा सांख्यिकी में अंतर-विषयी शोध को शिक्षण, शोध के साथ-साथ क्रिप्टोलॉजी तथा साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यह क्रिप्टोग्राफिक आवश्यकताओं, अत्याधुनिक शोध कार्यकलापों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी क्षमता निर्माण के रूप में कार्य करता है । केंद्र को वित्तपोषण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सहायता अनुदान के एक भाग के रूप में, बजट में एक पृथक लाइन के अंतर्गत किया जाता है ।

अभिनव बहु-विषयक अध्ययन केंद्र

1.18 ज्ञान प्रसार एवं कौशल विकास क्षेत्र में अपना योगदान देने के अतिरिक्त आईएसआई ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का समाधान करने के लिए नवाचारी बहु-विषयक अनुप्रयोगों पर कार्य करना जारी रखा है । इसके लिए, आईएसआई ने दो उत्कृष्टता केंद्र, **आईएसआई कोलकाता में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और आईएसआई दिल्ली में सेंटर फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ़ क्लाइमेट, फ़ूड, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट (सीईसीएफ़ईई)** की स्थापना की है । ये केंद्र मशीन लर्निंग और क्रिप्टोलॉजी और जलवायु परिवर्तन सहित अनुसंधान के अत्याधुनिक अंतःविषय क्षेत्रों में काम करते हैं। हाल के उदाहरणों में मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में किए गए आईएसआई के योगदान, वन्यजीवों के विलुप्त होने के जोखिम को समझना, उपभोक्ता विश्वास का सटीक मूल्यांकन, विकास के साथ-साथ एन्क्रिप्शन कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन, जाली नोटों के जोखिमों का मूल्यांकन,रक्षा उत्पादन प्रणालियों में सुधार, जिन कस्बों और शहरों की उनकी अंतर्निहित जटिलता द्वारा कैलिब्रेट किया गया, उनके स्वच्छता के स्तर को समझते है, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का विकास शामिल हैं ।आईएसआई के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीव विज्ञान को समझने, इसके प्रसार और मॉडलिंग के महामारी विज्ञान के पहलुओं और संक्रमणों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस, क्रिप्टोलोजी और साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान, प्रतिरूप अभिज्ञान, अभिकलनात्मक इंटेलीजेंस, जैव सूचना विज्ञान तथा सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान भी दिए है । संस्थान द्वारा आरंभ किए गए अध्ययनों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है ।

1.19 संस्थान ने सांख्यिकी; गणित; कंप्यूटर विज्ञान; मात्रात्मक अर्थव्यवस्था; गुणवत्ता; विश्वसनीयता और परिचालन अनुसंधान; गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान; क्रिप्टोलोजी और सुरक्षा; पुस्तकालय और सूचना विज्ञान;

सांख्यकीय पद्धति और विश्लेषण तथा जनता को बड़े पैमाने पर लाभ पहुँचाने के लिए उभरते क्षेत्रों में भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को भी बढ़ावा देते हुए बहु-विषयक अध्ययनों के प्रोत्साहन द्वारा इसकी पहुँच को विस्तार देने के लिए पहलें की है ।

अध्याय- दो

बजटीय आवंटन

बजट 2023-24

2.1 मंत्रालय के लिए मांग सं .96 के अंतर्गत अनुदान मांगों में वर्ष 2023-24 के लिए 5443. 40करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव शामिल है ।राजस्व के अंतर्गत 5409. 92करोड़ रुपए और पूंजी के अंतर्गत 33.48करोड़ रुपए की मांग है । मंत्रालय ने दो योजनाएं,नामतः(i)क्षमता विकास)सीडी(योजना और (ii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)एमपीलैड्स) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है ।

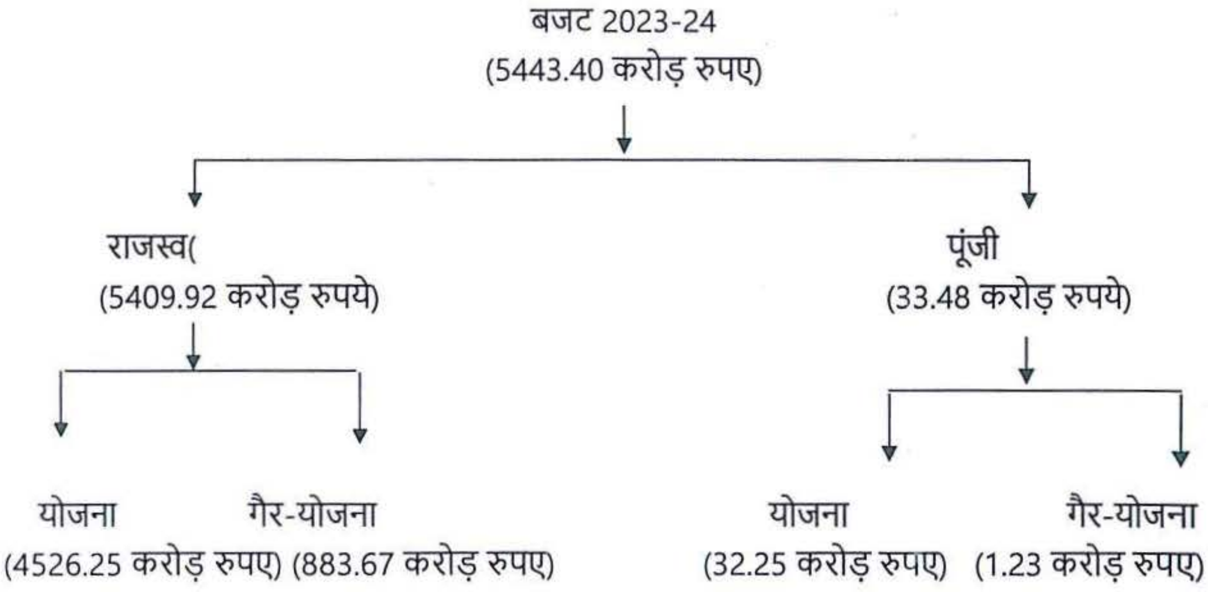

परिशिष्ट –एक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक आंकड़े और 2023-24 के लिए बजट अनुमान (मुख्य शीर्ष वार और प्रभाग वार) दर्शाने वाला विवरण

(कुल योजना और कुल गैर -योजना)

(रु लाख में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24

	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आंकड़े	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक आंकड़े	ब.अ.	सं.अ.	(*) व्यय (31.12.21 के अनुसार ई-लेखा पर आधारित)	ब.अ.
गैर योजना(कुल एमओएसपीआई)	77,800.00	67,804.00	68,291.88	76,215.00	75,650.00	71,803.38	87,097.00	86,459.00	64,122.76	88,490.00
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(2.0%)	(11.6%)	(5.1%)	(14.3%)	(14.3%)	(73.6%)	(1.6%)
योजना (एमपीलैड्स के बिना)	70,600.00	71,396.00	64,714.96	62,688.00	34,700.00	24,170.45	56,211.00	34,750.00	21,783.54	60,000.00
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(11.2%)	-(51.4%)	-(62.7%)	-(10.3%)	(0.1%)	(38.8%)	(6.7%)
एमपीलैड्स के बिना कुल (योजना + गैर योजना)	**148,400.00**	**139,200.00**	**133,006.84**	**138,903.00**	**110,350.00**	**95,973.83**	**143,308.00**	**121,209.00**	**85,906.30**	**148,490.00**
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(6.4%)	-(20.7%)	-(27.8%)	(3.2%)	(9.8%)	(59.9%)	(3.6%)
एमपीलैड्स)	396,000.00	200.00	110,815.40	2,010.00	263,350.00	173,211.60	396,500.00	396,500.00	160,558.49	395,850.00
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(99.5%)	(131575.0%)	(56.3%)	(19626.4%)	(50.6%)	(40.5%)	-(0.2%)
कुल (योजना (एमपीलैड्स	**466,600.00**	**71,596.00**	**175,530.36**	**64,698.00**	**298,050.00**	**197,382.05**	**452,711.00**	**431,250.00**	**182,342.03**	**455,850.00**

सहित)										
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(86.1%)	(316.3%)	(12.4%)	(599.7%)	(44.7%)	(40.3%)	(0.7%)
सकल योग्य एमओए सपीआई (योजना + गैर योजना)	**544,400.00**	**139,400.00**	**243,822.24**	**140,913.00**	**373,700.00**	**269,185.43**	**539,808.00**	**517,709.00**	**246,464.79**	**544,340.00**
(प्रतिशत परिवर्तन)				-(74.1%)	(168.1%)	(10.4%)	(283.1%)	(38.5%)	(45.7%)	(0.8%)

नोट: प्रतिशत वृद्धि (+) / घटाव (-) की गणना पिछले वर्ष के तदनरूपी आंकड़ों की तुलना में वर्तमान के आंकड़ों का उपयोग करके की गई है।

(*) : प्रतिशत वृद्धि (+) / घटाव (-) चालू वर्ष ब.अ. के आंकड़ों का उपयोग करके गणना की गई है

गैर-योजना 2023-24

2.3 वर्ष 2023-24में मंत्रालय का गैर-योजना बजट 884.90करोड़ रुपए मुख्य रूप से वेतन उन्मुख है चूंकि सांख्यिकी स्कंध)एनएसओ (का प्रमुख कार्य गणना/सर्वेक्षण करना, डेटा एकत्र करना, विश्लेषण और प्रचार -प्रसार करना है, जिसमें कर्मचारी अत्यधिक व्यस्त रहते हैं ।वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय के लिए गैर-योजना बजट के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

वस्तु शीर्ष	बजट (₹ लाख में)	कुल गैर-योजना बजट का %
वेतन	33539.26	37.902
पुरस्कार	170.35	0.193
चिकित्सा उपचार	423.07	0.478
भत्ते	19187.75	21.684
एलटीसी	585.99	0.662

प्रशिक्षण व्यय	33.98	0.038
घरेलू यात्रा	611.67	0.691
विदेश यात्रा	15.62	0.018
कार्यालय व्यय	742.79	0.839
भूमि और भवनों के लिए किराया दर और कर	337.68	0.382
मुद्रण और प्रकाशन	20.97	0.024
अन्य के लिए किराया	81.76	0.092
डिजिटल उपकरण	45.40	0.051
सामग्री एवं आपूर्ति	10.00	0.011
ईंधन एवं स्नेहक	32.51	0.037
विज्ञापन और प्रकाशन	2.10	0.002
लघु सिविल और विद्युतीय कार्य	95.56	0.108
व्यवसाय-संबंधी सेवाएं	35.02	0.040
मरम्मत और रख-रखाव	114.49	0.129
अन्य राजस्व व्यय	23.97	0.027
अंतरराष्ट्रीय अंशदान	22.00	0.025
सामान्य सहायता अनुदान)आईएआरएनआईडब्ल्यू(	6.06	0.007
आईएसआई, कोलकाता के लिए सहायता अनुदान	32229.00	36.421
पूंजी	123.00	0.139
कुल	**88490.00**	

2.4 मंत्रालय भारतीय सांख्यिकीय संस्थान)आईएसआई (को इसके कामकाज, शैक्षणिक गतिविधियों और अवसंरचना सृजन तथा इसके रखरखाव के लिए बजट के गैर-योजना घटक के भाग के रूप में सहायता अनुदान प्रदान करता है। आईएसआई अनुसंधान, शिक्षण और सांख्यिकी, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अनुप्रयोग के प्रति समर्पित है। संस्थान ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त किया। आईएसआई अधिनियम की धारा 4, अन्य बातों के साथ-साथ, सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आईएसआई को सशक्त बनाता है। मंत्रालय के बजट से, वर्ष 2023-24 के दौरान गैर योजना आवंटन के रूप में, संस्थान के लिए सहायता अनुदान के रूप में 322.29 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

2.5 वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गैर योजना बजट 1.52 करोड़ रुपए आंका गया है।

2.6 गैर-योजना आवंटन 2022-23 (सं.अ.) में ₹ 864.59 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 884.90 करोड़ (ब.अ.) हो गया है।

योजना 2023-24

2.7 मंत्रालय वर्तमान में दो केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, नामत :क्षमता विकास)सीडी (योजना और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)एमपीलैड्स (का कार्यान्वयन कर रहा है । मंत्रालय के लिए 24-2023 में कुल योजना बजट प्रस्ताव 4558.50करोड़ रुपए है ।

2.8 4558.50 करोड़ रुपए के कुल योजना बजट में से 600.00 करोड़ रुपए क्षमता विकास (सीडी) स्कीम के लिए निर्धारित किए गए हैं। सीडी स्कीम के व्यय का वस्तु-शीर्षवार आवंटन निम्नानुसार है:-

वस्तु शीर्ष	बजट	कुल सीडी योजना बजट का %
	(₹ लाख में)	
वेतन	699.94	1.167
पुरस्कार	11.89	0.020
चिकित्सा उपचार	35.50	0.059
भत्ता	454.76	0.758
एलटीसी	13.36	0.022
प्रशिक्षण व्यय	91.00	0.152
घरेलू यात्राएं	3641.80	6.070
विदेश यात्रा	245.50	0.409
कार्यालय व्यय	3632.11	6.054
भूमि और भवनों के लिए किराए की दरें और कर	5626.55	9.377
मुद्रण और प्रकाशन	252.22	0.420
अन्य के लिए किराया	200.00	0.333
डिजिटल उपकरण	361.00	0.602
सामग्री एवं आपूर्ति	31.96	0.053
ईंधन एवं स्नेहक	86.00	0.143
विज्ञापन और प्रकाशन	1307.10	2.179
लघु सिविल और विद्युतीय कार्य	787.88	1.313
व्यवसाय-संबंधी	35773.44	59.622

मरम्मत एवं इनाम	690.00	1.150
पुरस्कार और पुरस्कार	22.75	0.038
अन्य राजस्व व्यय	104.24	0.174
अनुदान-सहायता-सामान्य	887.00	1.478
पूर्वोत्तर क्षेत्रके लिए अनुदान-सहायता-सामान्य	1819.00	3.032
मोटर गाड़ी	20.00	0.033
मशीनरी और उपकरण	114.00	0.190
आईसीटी उपकरण	1590.84	2.651
इमारतें और संरचनाएं	1086.00	1.810
अवसंरचना परिसंपत्तियां	80.30	0.134
फर्नीचर और जोड़े गए उपकरण	154.00	0.257
अन्य अचल संपत्तियां	14.86	0.025
भूमि	165.00	0.275
कुल	**60000.00**	

2.9 एमपीलैड्स के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 में ₹3958.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

2.10 सहायता अनुदान)स्कीम के अंतर्गत(: वर्ष 2023-24 के दौरान सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय क्षमता विकास योजना)गैर-पूर्वोत्तर (के लिए 8.87करोड़ रुपए और एमपीलैड योजना के लिए 3950.00करोड़ रुपए है।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का योजना-वार आवंटन

(योजना बजट)

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2020-21	2021-22			2022-23			2023-24
		वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय(31.12.22तक की स्थिति के अनुसार	ब.अ.

								ई-लेखा आधारित)	
केन्द्रीय क्षेत्र योजना (1से 2):									
1	क्षमता विकास	647.15	598.36	347.00	241.70	562.10	347.50	217.84	600.00
2	एनपीआईक्यूएसआई		28.52	0.00	-	00.01	0.00	0.00	-
कुल एमओएसपीआई (एमपीलैड्स के बिना)		**647.15**	**626.88**	**347.00**	**241.70**	**562.11**	**347.50**	**217.84**	**600.00**
	पी.आई. स्कंध								
3	एमपीलैड्स	1108.15	20.10	2633.50	1732.12	3965.00	3965.00	1605.58	3958.50
कुल योजना कुल **(एमओएसपीआई)**		**1755.30**	**646.98**	**2980.50**	**1973.82**	**4527.11**	**4312.50**	**1823.42**	**4558.50**

2.11 क्षमता विकास योजना के अंतर्गत 598.36करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष -2021 22में 356.66करोड़ रुपए; 562.10 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की तुलना में वर्ष 23-2022में 344.27 करोड़ रुपए 62.24)%की कमी (की निधि उपयोगिता में कमी आई है । बजटीय आवंटन और इसके उपयोग के बीच भारी अंतर के कारणों की व्याख्या करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जो निम्नवत है:-

क्षमता विकास)सीडी (योजना में तीन घटक नामतः ,सीडी)मुख्य(, आर्थिक गणना)ईसी (और सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता)एसएसएस (हैं । ईसी और एसएसएस सीडी योजना की उप-योजनाएँ हैं । सीडी योजना के अंतर्गत आवंटित बजट और उपगत व्यय इस प्रकार हैं:

((करोड़ रु. में)

नाम	2021-22			2022-23		
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	*दिनांक 19.02.2023 की स्थिति के अनुसार*
सीडी)मुख्य(	284.92	270.23	235.73	452.46	319.95	251.19

ईसी	280.00	64.77	0.89	57.01	20.00	0.15
एसएसएस	33.44	12.00	5.08	52.63	7.55	4.31
सीडी योजना)कुल(	598.36	347.00	241.70	562.10	347.50	255.65

बचत के लिए घटक/उप-योजना वार कारण

क्षमता विकास)मुख्य(:

क्षमता विकास)मुख्य (के अंतर्गत बचत के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

(क) सीडी (मुख्य) योजना के अंतर्गत संगणक केंद्र के लिए निर्धारित आवंटित निधियां राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल (एनआईआईपी) परियोजना में सेवा समाकलक (एसआई) को भुगतान के लिए उपयोग की जानी थी । तथापि, एनआईआईपी को एसआई द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने से जोड़ा गया था और चूंकि एसआई समय पर उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सका और भुगतान नहीं किया जा सका तथा इसलिए बजट आवंटन का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका ।

(ख) वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) अधिकारियों के विदेशी शिक्षा घटक सहित विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुए । इसके अलावा, कुछ नियोजित बैठकें कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोजित नहीं की जा सकीं ।

(ग) टैबलेट, जो डिजिटल मंच (ई-सिग्मा) पर सर्वेक्षण संचालन के हस्तानांतरण के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, की खरीद के लिए बजटीय आवश्यकता सीडी योजना के विस्तार के लिए प्रस्ताव में प्रक्षेपित थी और खरीद की प्रक्रिया सीडी योजना के विस्तार के लिए व्यय वित्त समिति के संस्तुतियों के अनुरूप वर्ष 2021-22 में शुरु की गई थी । तद्नुसार, चालू सर्वेक्षणों के लिए उचित अनुमोदन के साथ वर्ष 2022-23 में खरीद पूरी कर ली गई है ।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) उप-योजना

एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ,जिनके साथ उप-योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों/परिणामों से निरूपित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों के लिए निधियां जारी की जाती हैं ।समझौता ज्ञापन की अवधि सामान्यतः 3वर्ष होती है । समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, सहायता अनुदान के रूप में निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए किस्तों में जारी की जाती हैं । जब प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाती है, तब परवर्ती किस्तें पिछली किस्तों की 80% उपयोगिता और अनुरूप वास्तविक प्रगति की उपलब्धि के अध्यधीन जारी की जाती हैं ।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट/संशोधित अनुमानों के संबंध में निधियों की कुल आवश्यकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी मासिक प्रगति रिपोर्ट)एमपीआर (में यथासूचित वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर आधारित उनकी प्रगति के मूल्यांकन के बाद निकाली जाती है वित्तीय वर्ष 22-2021के लिए 33.44करोड़ रु .का ब.अ. और वित्तीय वर्ष 23-2022के लिए 52.63करोड़ रुपए का ब.अ. तद्नुसार तैयार किया गया था । एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत व्यय उप-योजना का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई मांगों पर निर्भर है । वर्तमान में कार्यान्वयन कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनसे अपेक्षित था कि वे वर्ष 23-2022के दौरान अपनी दूसरी या तीसरी किस्त मांगेंगे, ने अपेक्षानुसार अधिक निधि जारी करने का अनुरोध नहीं किया है । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 23-2022में आवंटन सं.अ. चरण पर 52.63करोड़ रुपए से 7.55करोड़ रुपए तक कम किया गया है ।

आर्थिक गणना)ईसी (उप-योजना

वित्तीय वर्ष 22-2021में ईसी के लिए व्यय केवल 0.89करोड़ रुपए था जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसी)सीएससी (को भुगतान जारी न करने के कारण था चूंकि वे अंतिम भुगतान संबंधी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके थे । अंतिम भुगतान संबंधी उपलब्धि में 7वें ईसी का डाटाबेस, राष्ट्रीय रिपोर्ट का प्रकाशन, डाटा/आईटी परिसंपत्ति का हस्तांतरण आदि शामिल है । दिनांक 21.06.2022के एक पत्राचार के माध्यम से, सीएससी ने 91.68करोड़ रुपए की देय राशि की निर्मुक्ति का अनुरोध किया है । 7वीं ईसी डाटा मुद्दों का समाधान न होने के कारण, ईएफसी के अनुसार कई अनुवर्ती गतिविधियां वर्ष 23-2021के दौरान शुरू नहीं की जा सकी । इसके अलावा, वैश्विक महामारी कोविड 19-के परिदृश्य के कारण, अधिकारियों के क्षेत्र दौरे , नियोजित अध्ययन, 7वीं ईसी के लिए बैठकें/सेमिनार प्रतिबंधित रहे ।

2.12 प्रत्येक स्तर पर निधि आवंटन और मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मौजूदा निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, एमओएसपीआई ने एक लिखित उत्तर में बताया:

"एमओएसपीआई में दो स्कंध अर्थात् सांख्यिकी स्कंध और कार्यक्रम कार्यान्वयन)पीआई (स्कंध हैं। सांख्यिकी स्कंध मंत्रालय की सभी सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। पीआईस्कंधसमय

और लागत वृद्धि के संबंध में उच्च मूल्य वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं)150 करोड़ रू० और उससे अधिक लागत वाली (तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना)एमपीलैड्स (की निगरानी करता है।

मंत्रालय योजनाओं के लिए आबंटित निधियां का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है | सामयिक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए व्यय की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है, जहाँ आवश्यकता हो, ताकि बड़े पैमाने पर अव्ययित बजट प्रावधानों से बचा जा सके। उन गतिविधियों, जो योजनाओं के भाग /घटक हैं, की योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति संबंधी समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

7वीं आर्थिक गणना के अंतर्गत प्रगति और गतिविधियों की इसकी शासी संरचना के अनुसार निगरानी की जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंत्रालय में नियमित समीक्षा के अतिरिक्त;7वीं ईसी के विभिन्न पहलुओं की निगरानी और समीक्षा के लिए संचालन समिति, विशेषज्ञ समूह, केंद्रीय स्तरीय संचालन समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिला स्तरीय समन्वय समिति, संविदा निगरानी समिति ,आदि का गठन किया जाता है। ईसी में निधियों के आवंटन और उपयोगिता को ईएफसीमें अनुमोदितगतिविधियों द्वारा शासित किया जाता है। निधियों की निर्मुक्ति के लिए वित्तीय सहमति और प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए जाते हैं। निधि का संवितरण पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है।"

2.13 मांग संख्या 96 ,मुख्य शीर्ष 2552 के अंतर्गत किए गए व्यय की प्रकृति के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया:

" क्षमता विकास (सीडी) योजना के इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का उपयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) और सीडी योजना की एसएसएस उप-योजना द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र को निधियाँ जारी करने के लिए किया जाता है।

एनएसएसओके विभिन्न दौरों के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन कराने के लिए 5 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को एनएसएसओने सहायता अनुदान जारी किया । इन पूर्वोत्तर राज्यों के डीईएस सिक्किम को छोड़कर अपने राज्य के प्रतिदर्श को शामिल करने के एनएसएसओ की ओर से केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम करते हैं।एनएसएसओ हर साल अनुदान सहायता जारी करके उनकी सेवाओं के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति देता है । इसके अलावा,जीआईए के अंतर्गत आवंटित बजट का हिस्सा एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) को हस्तांतरित कर दिया गयाजिसका उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वेक्षण गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है । व्यय में मुख्य रूप से पारिश्रमिक और सर्वेक्षण संचालन करने के लिए भाड़े पर ली गई श्रमबल का टीए/डीए और उनके प्रशिक्षण और गुणात्मक पर्यवेक्षण के लिए व्यय शामिल है।

एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत, अनावर्ती प्रकृति का सहायता अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए उनकी सांख्यिकीय क्षमताओं और संचालन में सुधार के लिए प्रदान किया जाता है।"

2.14 इसके अलावा, जब 2022-23 की तुलना में 2023-24 में इस शीर्ष की प्रतिशत हिस्सेदारी घटकर 57.8 प्रतिशत हो जाने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

"वर्ष 2022-23 के हिस्से की तुलना में 2023-24 में इस शीर्ष के प्रतिशत हिस्से में 57.8% तक की गिरावट के कारण निम्नानुसार हैं;

एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोगिता की पिछली प्रवृत्ति के आधार पर,पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान को 2022-23 के 21.07 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 में 2.850 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जैसा कि उनकी मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में बताया गया है यह कार्य राज्यों की वास्ताविक और वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया है। अतिरिक्त निधि, यदि आवश्यक हो, संशोधित अनुमान स्तर पर मांगी जाएगी।तथापि,यह ध्यान दिया जा सकता है कि एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ब.अ. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10.31 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.850 करोड़ रुपये एनईआर के लिए प्रावधान किया गया है, जो प्रस्तावित ब.अ. के 10% से अधिक है ।

इसके अलावा,जहां तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) का संबंध है,भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जीआईए के अंतर्गत व्यय संभव नहीं है।इसलिए,वस्तु शीर्ष जीआईए के अंतर्गत आवंटित निधिपूरी तरह से 5 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। अतः,वित्त वर्ष 2022-23 के वस्तु शीर्ष जीआईए के अंतर्गत आने वाले मांग को वित्त वर्ष 2022-23 के 22 करोड़ रुपये से घटाकर वित्त वर्ष 2023-24 में 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

2.15 यह पूछे जाने पर कि बजट अनुमान आवंटन में 57.8 प्रतिशत की इस कमी से मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति पर इसका प्रभाव कैसे होगा, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में कहा:

जहां तक एनएसएसओ का संबंध है, पांच पूर्वोत्तर राज्यों को धन जारी करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु शीर्ष जीआईए के अंतर्गत राशि में 7 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में 22 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2023-24 में 15 करोड़ रुपये)की कटौती की गई है ताकि पांच पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा सर्वेक्षण कार्य की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त वस्तु शीर्ष जीआईए के अंतर्गत निधि का हिस्सा जो पहले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के क्षेत्र संकार्य प्रभाग को हस्तांतरित किया गया था, अब वित्तीय

वर्ष 2023-24 से बंद कर दिया गया है । सर्वेक्षण गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एनएसएसओ द्वारा सीडी योजना के अन्य वस्तु शीर्षों में निधि बढ़ाकर इतनी ही राशि की मांग ब.अ. 2023-24 में की गई है।

एसएसएसउप-योजना के कार्यान्वयन के संबंध में, यह कहा गया है कि यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीईएसएसद्वारा किया जाता है। कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों को भारत सरकार और संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में चित्रित किया गया है। उप-योजना के अंतर्गत किया गया व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत जारी निधियों की घटती प्रवृत्ति का प्राथमिक कारण राज्यों से मांग प्राप्त न होना है।बदले में राज्य 2020-21 और 2021-22 में कोविड महामारी के कारण अपेक्षित गति से निर्धारित गतिविधियों को शुरू नहीं कर सके, जिससे 2022-23 तक निधि के उपयोग में कमी आई है। हालांकि, अब गतिविधियों में तेजी आई है और राज्यों द्वारा 2023-24 में मांगें बढ़ाने की संभावना है। संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करके और नियमित संचार के माध्यम से उप-योजना के सुचारू संचालन और सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय राज्यों के साथ सख्ती से अनुपालन कर रहा है।

सीडी योजना में खाता 2552 के शीर्ष के अंतर्गत आवंटित बजट का उपयोग 5 पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वेक्षण गतिविधियों को पूरा करने और एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए किया जाता है।वस्तु शीर्ष जीआईए के अंतर्गत व्यय विवरण इस प्रकार है:

(रु .करोड़ में(

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2020-21	32.00	20.57	19.20
2021-22	40.10	22.16	20.83
2022-23	43.07	22.59	9.87 (19.02.2023 तक)

2.16 क्षमता विकास योजना के घटकों में मंत्रालय के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:

क्षमता विकास)सीडी (योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का सुधार ।
2. मूल्य सांख्यिकी और अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम)आईसीपी (में सुधार।
3. सामाजिक, पर्यावरण और सम्बद्ध सांख्यिकी में सुधार।
4. आर्थिक क्षेत्रीय सांख्यिकी में सुधार।

5. कार्यालयी सांख्यिकी में सांख्यिकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण /क्षमता निर्माण और इन्टर्णशीप कार्यक्रम, संस्थानों की अनुदान -सहायता, सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय /राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑन द स्पॉट निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से कार्यालयी सांख्यिकी और सांख्यिकी में शोध को बढ़ावा देने के लिए भी।
6. केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करना।
7. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कम्प्यूटर केंद्र को सुदृढ़ करना।
8. एनएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना और नए सर्वेक्षण आरंभ करना।
9. इस मंत्रालय के अवसंरचना परियोजना निगरानी प्रभाग के अंतर्गत परियोजनाओं की परियोजना निगरानी को सुगम बनाने के लिए।

क्षमता विकास योजना में तीन घटक नामतः सीडी)मुख्य(, आर्थिक गणना)ईसी (और सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता)एसएसएस (हैं। सीडी योजना के अंतर्गत आबंटित बजट-वार घटक और किए गए व्यय निम्नलिखित हैं:

(रूपये करोड़ में)

नाम	2020-21			2021-22			2022-23		
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय		ब.अ.	सं.अ.	व्यय		ब.अ.
सीडी)मुख्य(	258.99	218.69	189.30	284.92	270.23	235.73	452.46	319.95	251.19
ईसी	400.00	488.32	451.76	280.00	64.77	0.89	57.01	20.00	0.15
एसएसएस	47.01	6.95	6.09	33.44	12.00	5.08	52.63	7.55	4.31
सी डी योजना (कुल)	706.00	713.96	647.15	598.36	347.00	241.70	562.10	347.50	255.65

*** नोट:** *अनुदान मांग 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में सुधार, आर्थिक क्षेत्र की सांख्यिकी में सुधार और एनएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं को मजबूत करने और नए सर्वेक्षण करने के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है। ये घटक सीडी)मुख्य (योजना का हिस्सा हैं। तदनुसार, इन घटकों के अंतर्गत किया गया व्यय सीडी)मुख्य (योजना के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए कुल व्यय का हिस्सा है।*

सामाजिक, पर्यावरण और संबद्ध सांख्यिकी में सुधार:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सामाजिक, पर्यावरण और बहु-डोमेन सांख्यिकी के विकास के लिए समन्वय कर रहा है। सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, मानव विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय शामिल हैं, जबकि बहु-क्षेत्रीय आँकड़ों में लिंग, विकलांग व्यक्ति और सतत विकास लक्ष्यों)एसडीजी (से संबंधित संकेतक शामिल हैं। मंत्रालय सामाजिक, पर्यावरण और ऊपर उल्लिखित बहु-डोमेन सांख्यिकी पर वार्षिक और तदर्थ प्रकाशन जारी करता है। इन प्रकाशनों के लिए प्रत्येक विषय के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विषयों के विविध प्रसार के साथ, मॉसपी, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, जनगणनाओं, प्रशासनिक आंकड़ों, आर्थिक आंकड़ों, रिमोट सेंसिंग एजेंसियों और पर्यावरण निगरानी प्रणालियों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान और संकलन भी करता है। इन डेटासेट्स को फिर इन आंकड़ों के लिए निर्धारित मानक ढांचे में जोड़ा जाता है और डेटा प्रदान किया जाता है, जो समय और स्थान के आधार पर तुलनीय होता है।

आर्थिक क्षेत्र सांख्यिकी में सुधार:

आर्थिक क्षेत्र सांख्यिकी में सुधार के लिए, मंत्रालय सर्वोत्तम व्यवहारों और कार्यप्रणाली को अपना रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापित विशेष डेटा प्रसार मानक)एसडीडीएस (द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक)आईआईपी) जारी किया जाता है।

एनएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं को मजबूत करना और नए सर्वेक्षण शुरू करना:

एनएसएसओ द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण गतिविधियों के संबंध में, उपलब्ध बजटीय संसाधनों का उपयोग आईटी संसाधनों और कार्यालय अवसंरचना को मजबूत करने, प्रचार के उपाय करने और जनशक्ति संसाधनों को शामिल करने और उनके प्रशिक्षण और नए सर्वेक्षण करने के लिए अन्य गुणात्मक उपायों जैसे की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण)2017 से(, अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण)अक्टूबर 2019 से शुरुआती छह महीने के दौर के साथ शुरू हुआ; वर्तमान में दूसरा वार्षिक दौर, यानी एएसयूएसइ 2022-23 अक्टूबर 2022 से शुरू किया जा रहा है(, समय उपयोग सर्वेक्षण)पहला दौर जनवरी 2019-दिसंबर 2019 से किया गया (और सीपीआई)आर (के लिए मूल्य संग्रह)2018 से(, के लिए करने के सभी प्रयास किये जा चुके है।

अध्याय-तीन

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस):

3.1 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके । शुरूआत में, एमपीलैड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया था । एमपीलैड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था । योजना, दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जा रही है जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है । वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे ।The basic objective of एमपीलैड स्कीम का मूल उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि की टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। इस योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) में लोक सभा और राज्य सभा दोनों के 790 सांसदों के लिए 5.00 करोड़ रुपए प्रति सांसद (प्रति वर्ष) की पात्रता के अनुसार 3950.00 करोड़ रुपए की राशि का निश्चित वार्षिक आबंटन है। भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकरण को जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं। जिला प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संसद सदस्य की सिफारिश पर विकास कार्य निष्पादित करते हैं।

3.2 एमपीलैड योजना की मुख्य विशेषताएं:

(i) एमपीलैड्स भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है जिसके अंतर्गत निधियां सीधे जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं।

(ii) इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं, अर्थात् किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों की पात्रता को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है । वर्तमान में, प्रति सांसद/निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपये है।

(iii) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है । तत्पश्चात्, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है ।

(iv) निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं ।

(v) न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए में एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.5.1 और पैरा 3.21.5 में उल्लिखित कुछ अपवादों के साथ प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹ 50 लाख की सीमा है । एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों में से एक वित्तीय वर्ष में केवल ₹ 100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है ।

(vi) बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(vii) देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक ₹ 1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है । इस मामले में निधियों को प्रभावित राज्य के राज्यीय नोडल विभाग के संबंधित सांसद अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए जारी किया जाएगा क्योंकि इस बारे में दिनांक 26.10.2018 के मंत्रालय के का.ज्ञा. सं सी-19/2017/एमपीलैड्स के संदंर्भ में इस बारे में संशोधन किया गया था ।

(viii) अनुसुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैड्स निधियों का 15% अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा । यदि किसी लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के आबादी अपर्याप्त हो तो इस तरह की निधि को अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में और विलोमतः प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा यदि कोई लोकसभा सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की

आबादी अपर्याप्त हो तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (दोनों को एक साथ रखकर) क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए काम करने की सिफारिश कर सकते है लेकिन उनके चुनाव वाले राज्य के भीतर।

(ix) यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने के आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक ₹ 25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है । संसद सदस्य का यह कृत्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को निचले स्तर तक बढ़ावा देगा ।

(x) संसद सदस्य तिपहिया साइकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटर चालित), मोटर चालित/बैटरी संचालित पहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायता/सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 20 लाख तक सिफारिश कर सकता है ।

(xi) संसद सदस्य सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं । सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा अर्थात ₹ 50 लाख की शर्त लागू होगी (पैरा 3.21)।

(xii) ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के अनुबंध IV (ई) सैक्टर VII और IV (ई) में शामिल किया गया है । स्टेबल क्लियरिंग और सूपर सीडर मेशीनों की खरीद कुछ शर्तों की पूर्ति के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत भी अनुमेय है।

(xiii) संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी योजना जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(xiv) संसद सदस्य शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चुनिंदा स्थलों पर वाई-फाई प्रणाली की संस्थापना के लिए कुछ शर्तों के अधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं । कुछ शर्तों के

अधीन लैप टॉप की खरीद, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अनुमेय है ।

(xv) एमपीलैड योजना के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, में जमा कराई जाती हैं ।

(xvi) एमपीलैड योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ।

प्रभाव

3.3 प्रारंभ से ही योजना ने स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि को पूरा करके उन्हें लाभान्वित किया है । इन कार्यों को एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है ।

3.4 मंत्रालय ने एमपीलैड्स के संबंध में निम्नलिखित लिखित उल्लेख भी किए हैं:

"एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत से 31.12.2022 तक 58651.74 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है । इसी अवधि के दौरान, जिला प्राधिकरणों को विभिन्न मदों के लिए 59235.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी तथा इसके संबंध में 56600.23 करोड़ रुपए का व्यय कर लिया गया है ।

3.4 मंत्रालय ने एमपीलैड्स पर अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत से 31.12.2021 तक 55844.75 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई है। इसी अवधि के दौरान, जिला प्राधिकरणों को विभिन्न मदों के लिए 56962.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी तथा इसके संबंध में 54330.05 करोड़ रुपए का व्यय कर लिया गया है।

i. वैश्विक महामारी कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो वित्तीय वर्षों 2020-21 और 2021-22 के लिए एमपीलैड योजना को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया, इसलिए एमपीलैड योजना के तहत ₹3950.00 करोड़ का बजटीय परिव्यय वित्त मंत्रालय के अधीन रखा गया था।
ii. व्यय विभाग ने दिनांक 16-3-2021 के अपने का.ज्ञा. क्रमांक ओ.एम. सं.56 (2)/पीएफ़-II/2006 (भाग), के द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 से संबंधित लंबित किश्तों को जारी करने के लिए ₹ 2,200.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की

जिसमें से मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 1107.50 करोड़ की 443 किश्तें जारी कर सका।

iii. व्यय विभाग ने दिनांक 28-5-2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 469 लंबित किश्तों को जारी करने के लिए ₹1172.50 करोड़ की राशि आवंटित की। इस योजना को नवंबर, 2021 में मंजूरी दी गई थी और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमपीलैड्स की बहाली पर मंत्रालय को 1583.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई थी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2021-22 में ₹1732.12 करोड़ जारी किए गए हैं।

iv. सरकार ने अब वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड योजना को बहाल कर दिया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एमपीलैड योजना को जारी रखा है।

v. वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान, मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड दिशा निर्देशों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष की पहली किस्त जारी करने के मानदंडों को पूरा करने पर, एक किश्त में ₹2.00 करोड़ प्रति संसदसदस्य- की दर से एमपीलैड्स निधि जारी करेगा।

vi. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 कीअवधि के दौरान, प्रति संसद सदस्य (संसदसदस्य-) की वार्षिक पात्रता ₹ 5.00 करोड़ रहेगी जो मौजूदा एमपीलैड्स दिशा निर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ₹ 2.50 करोड़ की दो किश्तों में जारी की जाएगी।''

क्षमता विकास योजना के निष्पादन की निगरानी प्रणाली

i. मंत्रालय ने मासिक समीक्षा करने के उद्देश्य से मासिक व्यय योजना (एमईपी) तैयार की है और साथ ही बजट के उपयोग की त्रैमासिक प्रगति और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है। जहाँ भी आवश्यक हो, व्यय की बारीकी से निगरानी की जा रही है; ताकि बड़े पैमाने पर अव्यपगत बजट प्रावधानों से बचा जा सके।

ii. सीडी योजना के प्रत्येक घटक के लिए, भौतिक लक्ष्यों को एमईपी से जोड़ा जाता है और नियमित बैठकों के माध्यम से प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है।

iii. योजना के तहत धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मासिक /तिमाही व्यय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली

i. योजना के कार्यान्वयन संबंधी चर्चा करने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिवों के साथ वार्षिक अखिल भारतीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

ii. योजना के उद्देश्य के अनुसार व्यवहार्य पाए जाने पर विभिन्न हितधारकों की सिफारिशों /सुझावों पर समय-समय पर दिशा निर्देशों के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है।

iii. योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को विभिन्न हितधारकों द्वारा एमपीलैड्स पोर्टल की सहायता से देखा और मॉनिटर किया जा सकता है।

iv. मंत्रालय को निधियों को समय पर जारी करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन आवश्यक योग्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

v. योजना .के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न राज्यों /जिलों का दौरा करते हैं।

vi. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों के उपाय के रूप में, 01.04.2014 से 31.03.0219 की अवधि के दौरान एमपीलैड्स के तहत जिलों में जिलों में सृजित परिसंपत्तियों के लिए देश भर के 216

नोडल जिलों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021 में एमपीलैड्स कार्यों का एक तृतीय –पक्ष वास्तविक मूल्यांकन किया है। एजेंसी ने 31 अगस्त, 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। तदनुसार, यह मंत्रालय प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों में संशोधन और पोर्टल में सुधार कर रहा है।"

3.5 एमपीलैड्स योजना के तहत 2021-22 में वास्तविक व्यय 1732.11 करोड़ रुपये और 2022-23 में 1605.58 करोड़ रुपये)31.12.22 तकरिलीज में कमी /था। समिति ने एमपीलैड्स निधियों के उपयोग (के कारणों के बारे में जानना चाहा; जिसपर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1732.11 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 (14-2-2023 तक के दौरान एमपीलैडयोजना के तहत (2052.5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। अर्थात्, एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करने में कोई कमी नहीं आई है।

3.6 अनुदानों की मांगों)2022-23) की जांच के संबंध में दिनांक 28.02.2023 को समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए ,मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने एमपीलैड्स पर निम्नवत् बताया:

"संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 3950 करोड़ रुपए का सामान्य बजट वापस आ गया है। इस वर्ष यह 395850 करोड़ रुपये है और 85 करोड़ रुपये वेबसाइट और दिशा-निर्‍देशों जैसी अन्य गतिविधियों के लिए हैं। 2020-21 में, इस योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। यही कारण है कि 2021 में खर्च कम है। 2021-22 में यह राशि नवंबर में ही मिली थी। अतः, हम लगभग 732 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहे हैं लेकिन इस वर्ष से हम सामान्य स्थिति में वापस आ गए हैं और कुल बजट 3965 करोड़ रुपये था। इसमें से 25 फरवरी तक हमने 2123 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान 3958 करोड़ रुपये है;प्रति माननीय संसद सदस्य के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति वर्षजो सामान्य है ,। जहां तक एमपीलैड का संबंध है, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। मुख्य उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।वार्षिक बजटीय आवंटन प्रतिवर्ष करोड़ 3950 करोड़ रुपये की दर से दो किस्तों में प्रति 2.5 रुपये है। पात्रतासंसदकरोड़ रुपये प्रति 5 सदस्य-अंत में शुरू करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि यह नवंबर के 2 में इसे घटाकर 22-2021 वर्ष है। हुआ था। प्रशासनिक व्यय दो प्रतिशत है जो सांसदों के कोष से जाता है, और शासन में दिशा-निर्देशों का एक सेट शामिल है।"

3.7 एमपीलैड योजना के तहत प्राप्त निधियों के संबंध में मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत् बताया :

"वर्ष करोड़ रुपये की धनराशि जारी की 8,612 के दौरान (तक 2023-2-28) 23-2019 %67.65 करोड़ रुपये का 12,730 जो इस अवधि के दौरान कुल आवंटन ,गई हैहै। इसके

अलावाकरोड़ रुपये की निधियां जारी 2,135 के दौरान (तक 2023-2-28) 23-2022 वित्त वर्ष , %54.05 करोड़ रुपये का 3950 कुल आवंटन जो इस अवधि के लिए , की गई हैंहै।

एमपीलैड्स के तहत धनराशि जारी करना दिशासंबंधी मानदंडों -निर्देशों में यथा उल्लेखित निधि-की पूर्ति और जिला प्राधिकारियों द्वारा निधिसंबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उन दस्तावेजों -साथ अव्ययित और अस्वीकृत शेष राशि के मानदंडों की -साथ को जांच के क्रम में पाए जाने के संबंधित दस्तावेज जैसे उपयोगिता - पूर्ति के अधीन है। जिला प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित निधि अनंतिम उप ,प्रमाण पत्रयोगिता प्रमाण पत्र और लेखापरीक्षा प्रमाण पत्रों के विलंबित प्रस्तुतीकरण से लंबित किस्तों को जारी करने पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।"

3.8 एमपीलैड्स पर दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:

"हमने एक संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें ऐसे बहुत से मुद्दों का ध्यान रखा गया है जो पिछले दिशानिर्देश में थे, जहां धन जारी करना कुछ दस्तावेज, विशेष रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के अधीन था। इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि तब निधियों का उपयोग नहीं किया जाता था और अगली किस्त में विलंब होता था। इसलिए, प्रणाली में एक अक्षमता थी।

नए निधि प्रवाह के तहत, हमने इसका ध्यान रखा है क्योंकि नई रिलीज जिला अधिकारियों द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र के अधीन नहीं होगी। अब, नया निधि प्रवाह भी ऑनलाइन होने जा रहा है। यह वास्तविक समय होगा। जैसे ही विक्रेताओं को भुगतान किया जाएगा, उपयोगिता प्रमाणपत्र-प्रणाली में स्वततांकि आवश्यकता का ध्यान रखा जा सके। हम ,निर्मित हो जाएगा : सदस्यों के खातों में प्रति व्यक्ति धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं-संसद, बल्कि हम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक माननीय संसदजो जिला ,रहे हैं सदस्य की पात्रता का प्राधिकार जारी कर-सदस्य स्थानीय रूप से महसूस की गई -प्राधिकारी के पास जाएगा और माननीय संसद आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए संसाधनों का आवंटन प्रारंभ कर सकते हैं।

अब, इन सभी प्रणालियों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जहां एक केंद्रीय नोडल खाता बनाया गया है। इसलिए, पैसा वहां रखा जाएगा, और एक आईटी प्रणाली के माध्यम से, प्रत्येक संसद इन और पासवर्ड-सदस्य को प्रणाली में लॉग-एक्सेस दिया जाएगा जहां वे विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधी की आवश्यकता को भर सकते हैं। वर्तमान प्रणाली के अनुसार, यह जिला प्राधिकारियों के पास जाएगा, जो पूरे प्राक्कलनों और अन्य बातों की जांच करेंगे, और फिर परियोजनाओं को मंजूरी देंगे और एक एजेंसी आवंटित करेंगे जो कार्य निष्पादित करेगा।एजेंसी किसी विशेष विक्रेता को कार्य आवंटित करने के लिए राज्य वित्तीय नियमों के अनुसार अपनी प्रक्रिया का पालन करेगी। जब अंतिम समय पर भुगतान की आवश्यकता होती है, तो एक प्रणाली अलर्ट निर्मित होगा, और पैसा प्रणाली के माध्यम से जारी होगा।

इसलिए, हम आशा करते हैं कि मौजूदा योजना में जो अड़चन थी, जहां संसदसदस्य- नई सिफारिशें जारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निधियां नहीं आ रही थीं क्योंकि कार्य लंबित थाको दूर - किया जाएगा।"

3.9 "जिला मजिस्ट्रेट की वीटो शक्तिके बारे में पूछे जाने पर ", मंत्रालय के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि वीटो शक्ति होगी। मुझे लगता है कि उपायुक्तों की भूमिका को इंगित किया गया था कि उनके पास" मौजूदा योजना में जिला प्रशासन के पास वीटो शक्ति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं। संसद सदस्य जो भी परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं, वे आम तौर पर अनुमोदित और स्वीकृत होते ही हैं, ऐसे असाधारण मामलों को छोड़कर जिसमें वे दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं।"

3.10 निधियों को जारी करने में देरी हो जाती है क्योंकि जिला प्राधिकारी अपेक्षित प्राधिकार प्रदान नहीं करते हैं और अपेक्षित दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस मुद्दे पर मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत् बताया:

"मैं समझता हूं कि वर्तमान योजना में दृश्यता और पारदर्शिता कम है और यह कि निधियों का प्रवाह कैसे होता है और सिफारिशों से कैसे निपटा जा रहा है। हम यह सब एक पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैंरिशोंसदस्य निधि की स्थिति और सिफा-जहां माननीय संसद , का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं यह देख सकेगें ताकि सभी स्तरों पर अधिक जांच और समीक्षा हो सके। एक मुद्दा जिसका उल्लेख किया जा रहा था वह यह है कि माननीय संसद-सदस्य ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों को अगली निधि जारी करने के साथ जोड़ने का उल्लेख किया है। यह-ी वर्तमान योजना में भी है। जैसा कि मैं बता रहा था, नई योजना में हम भुगतान करते ही प्रणाली के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को स्वचालित तरीके से निर्मित कर रहे हैं। हमने अगली किस्त को उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट से अलग कर दिया है। यदि मैं स्पष्ट करूँ तो यह उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा-और जीएफआर की आवश्यकता है, जिसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे डीलिंक कर दिया है। माननीय स-ंसदसदस्य- के पास जो प्राधिकार होगा, उसके बारे में, पिछले वर्ष के दौरान खर्च नहीं की गई निधि और नए वित्तीय वर्ष के लिए जो कुछ भी माननीय संसदसदस्य- को देय है, उसका प्राधिकार वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही जारी कर दिया जाएगा।"

3.11 यह पूछे जाने पर कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के संशोधन की प्रक्रिया के दौरान माननीय संसद सदस्यों से परामर्श क्यों नहीं किया गया, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथसाथ निम्नवत् साक्ष्योपरांत उत्तर - दिया:

यह मंत्रालय माननीय संसद सदस्यों को एमपीलैड योजना में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक मानता है और इसलिएयोजना म ,ेंं गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तदनुसारएमपीलैड्स दिशानिर्देशों के व्यापक और समग्र संशोधन की कवायद शुरू होने के ठीक , :जैसा कि नीचे बताया गया है ,समय पर परामर्श किया है-मंत्रालय ने माननीय सांसदों से समय ,बाद

क. वर्ष -3-31 से 2014-4-1 नांकजिलों में एमपीलैड्स के तहत दि 216 मंत्रालय ने चयनित ,में 2021 की अवधि के दौरान किए गए कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाना शुरू किया। 2019 मंत्रालय ने चयनित नोडल जिलों के माननीय सांसदों से एमपीलैड ,मूल्यांकन के दौरान योजना में सुधार के लिए अपने सुझाव 19-श्विक महामारीकोविडफीडबैक देने का अनुरोध किया। चूंकि वै/के कारणएजेंसी ने एक प्रश्नावली प्रोफार्मा ,माननीय सांसदों के साथ एजेंसी की बैठक संभव नहीं थी , तैयार किया था जिसे माननीय सांसदों द्वारा भरा जाना था। यह भी सलाह दीगई कि माननीय संसदटेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं। / फीडबैक देने के लिए बैठक में ,यदि चाहें तो ,सदस्य- के 2021-6-24 माननीय सांसदों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई प्रश्नावली के साथ दिनांक है। माननीय सांसदों के सुझावों क(I-अनुलग्नक) कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्नो तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की अपनी अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।(II -अनुबंध)

ख. दिसम्बर 2021,में-2020/4-ई .सं.शा.के हस्ताक्षर से अ (एमपीलैड्स) मंत्रालय ने डीडीजी, ,एमपीएलएडीएसदिनांक जिसमें एमओएसपीआई ने ,जारी किया 2021-12-9 संशोधन के लिए सभी माननीय संसद सदस्यों के सुझाव मांगे थे। । एमपीलैड्सदिशानिर्देशों के लखनऊ ,मुंबई ,गुवाहाटी ,हैदराबाद ,नई दिल्ली] मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों ,इसके बाद में एमपीलैड्स संबंधी [और कोलकाताकार्य सँभालने वाले राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के/ रैक्टिव कार्यशालाएं आयोजित की ताकि दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए इनपुट और साथ इंट की एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्नहै । 2021-12-9 दिनांक.शा.सुझाव एकत्र किए जा सकें । अ

ग. को आयोजित एमपीलैड्ससंबंधी राज्यसभा समिति की बैठकों में 2022-6-8 और 2021-11-12 शानिर्देशों के संशोधन के मामले पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठकों के कार्यवृत्त एमपीलैड्स दि की प्रतियां संलग्न हैं।

घ. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और तृतीय पक्षीय म ,इनपुट पर आधारित/ूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर 2022 ,मंत्रालय ने अक्टूबर ,में एमपीलैड्स पर दिशानिर्देश संबंधी मसौदा तैयार किया था । इन मसौदा दिशानिर्देशों को सभी माननीय सांसदों के बीच उनके इनपुट के लिए दिनांक परिचालित किया ग :को ईमेल द्वारा पुन 2022-10-25या था। प्रतियां में दी गई हैं। इन प्रारूप दिशानिर्देशों को सभी हितधारकों के सुझावों in.gov.mplad इनपुट के लिए/)जो पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है और जिसे कोई भी देख सकता हैपर एमपीलैड्स पोर्टल पर भी (जारी किया गया था । एमपीलैड्स और लोकसभा सचिवालय संबंधी राज्यसभा समिति से भी इनपुट मांगे गए थे।

ङ. माननीय सांसदों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर एमपीलैड योजना के , को अंतिम 2023-2-22 मंत्रालय ने अब , उद्देश्यों के साथ व्यावहारिक और संरेखित पाया गया से लागू 2023-4-1 जो ,दिशानिर्देश जारी किए हैंहोंगे।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि मंत्रालय ने एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने से पहले संसद सदस्यों सहित हितधारकों के साथ परामर्श की उचित और व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है।

3.12 एक विशिष्ट प्रश्न कि क्या निलंबित एमपीलैड्स निधियों के 10 करोड़ रुपये को बहाल करने की सरकार की कोई योजना है, के उत्तर में मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत अन्य बातों के साथसाथ निम्नवत् बताया है-:

> "वैश्विकमहामारी कोविड 19-के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन और समाधान के लिए, गया था के लिए निलंबित कर दिया 22-2021 और 21-2020 एमपीलैड योजना को दो वित्तीय वर्षों वित्त मंत्रालय के निपटान पर ,योजना के बजटीय परिव्यय को आर्थिक कार्य विभाग ,और तदनुसार योजना की बहाली के लिए हितधारकों से बड़ी संख्या में प्राप्त संदर्भों को ,रखा गया था। हालाँकि सरकार नेएक किस्त मे ,देखते हुए 2 ₹करोड़प्रति संसद सदस्य की दर से एमपीलैड्सनिधि जारी करने के साथ वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान एमपीलैड्स योजना को दिनांक 22-2021 में 22-2021 और 21-2020 वित्तीय वर्ष,के पास अभी ,से बहाल कर दिया। सरकार 2021-11-10 एमपीलैड योजना के निलंबन की अवधि केअनुरूप शेष कोई करोड़ रुपये को बहाल करने की 8 योजना नहीं है ।"

अध्याय चार

जनशक्ति की कमी

4.1 भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इन को समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 01 नवम्बर, 1961 को किया गया था।

4.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों /विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों /विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिस से वे वास्तविक, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें व (क) नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/ अंतिम मूल्यांकन सहित); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें।

4.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है। मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है। तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं।

इस सेवा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नति तथा अन्य मंत्रालयों / विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इससे वा में विकास हुआ है। आरंभिक गठन और वर्तमान में विभिन्न ग्रेडों में पदों का आबंटन इस प्रकार है:

ग्रेड	संस्वीकृतपद	30.11.202केअनुसारसंवर्गसंख्याबल2	
		तैनात	रिक्ति
उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस (एचएजी+)	05	05	00
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	18	14	04
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	136	133	03
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) और एनएफएसजी	176 #	119	57

वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	179	175	04
कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	300*	102	198
कुल	**814**	**548**	**266**

\# इनमें से, 30% सीनियर ड्यूटी के पद एनएफएसजी में रखे गए हैं।

* अवकाश, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु रखे गए 50 पदों सहित।

** भारतीय सांख्यिकी संस्थान के एसटीएस के 54 पदों को अस्थायी रूप से जेएजी में अवनति कर दिया गया है। पिछले वर्ष रिक्ति में वृद्धि हुई है।

4.4 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी। अभी तक, सीधी भर्ती के 42 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । 30 अधिकारियों के नवीनतम बैच ने अगस्त 2020 को ज्वाइन कर लिया है ।

4.5 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है। इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है । अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा

4.6 सरकार द्वारा निर्णय लेने को सुसाध्य बनाने, नीतियां तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता करने के लिए सांख्यिकी के मुख्य विनियमों के साथ अर्हक कर्मिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2002 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन किया गया था ।

4.7 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों का समूह-ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है। इसमें वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) समूह-ख राजपत्रित तथा कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) (ग्रुप ख अराजपत्रित) शामिल हैं । 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का वेतनमान क्रमश: पे मैट्रिक्स के लेवल-7 और कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का लेवल-6 है। एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।

4.8 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है। मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है। तथापि, एसएसएस

अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देख-रेख की जाती है।

4.9 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों पे मेट्रिक्स लेवल-4 और लेवल-5 के सांख्यिकीय कार्यकारी पद से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है । अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के भर्ती नियमावली के अनुसार, सेवा में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं है।

4.10 दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत पदों की संख्या तथा पद धारकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**पदनाम**	**2013 के आरआर के अनुसार एसएसएस के स्वीकृत पद**	**30.11.2021 के अनुसार संवर्ग संख्या बल**	
			तैनात	**रिक्ती**
1.	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1882	1838*	44**
2.	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	2201	1562*	639**
कुल क्षमता		**4083**	**3400***	**683**

*एसएसएस के भर्ती नियम, 2013 की सुसंगत अनुसूची में स्वीकृत पदों और वर्तमान पदों में अंतर एसएसएस में पदों के आगामी पद-समाप्ति/पदावनति/संवर्गीकरण के कारण हैं। संशोधित आरआर अभी जारी किया जाना है।

** शामिल किए अधिकारी जो एसएसएस को ज्वाइन के लिए अनिच्छुक है लेकिन एसएसएस पदों पर कार्य कर रहे है।

4.11 विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी के कारण डेटा की गुणवत्ता और निजी एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए डेटा की प्रामाणिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, के मुद्दे से संबंधित प्रश्न के उत्तर में, एमओएसपीआई ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"अनुमोदित स्वीकृत संख्या के अनुरूप केंद्र सरकार के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए मंत्रालय के पास मजबूत नीति है। मंत्रालय में दो मुख्य संवर्ग हैं। ग्रुप ए

अधिकारियों के लिए भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) कैडर, और अधीनस्त सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) कैडर जिसमें वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी और जूनियर सांख्यिकीय सेवा (जेएसओ) शामिल हैं। जहां तक संभव हो मंत्रालय समिति की सिफारिशों के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है।

भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के संबंध में भर्ती क्रमशःसंघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। इसे फीडर ग्रेड यानी एसएसएस से पदोन्नति द्वारा और अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के समावेश के माध्यम से भी भरा जाता है।

आईएसएस संवर्ग में वर्ष 2021 एवं 2022 के दौरान कुल 59 नियुक्तियां की गई हैं तथा आईएसएस परीक्षा 2022 की 27 नियुक्तियां अंतिम चरण में फरवरी 2023 में जारी की जाएंगी। जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) के ग्रेड में 98 रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव पदोन्नति कोटा के माध्यम से विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। कुल 33 रिक्तियों (सीधी भर्ती) और 40 रिक्तियों (पदोन्नति कोटा) की पहचान की गई है और यूपीएससी को सूचित किया जा रहा है।

पिछले डेढ़ साल में, एसएससी ने 265 उम्मीदवारों [संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) 2019 के माध्यम से] और 401 उम्मीदवारों (सीजीएलई-2020 के माध्यम से) की सिफारिश की है।

दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, मंत्रालय ने सीजीएलई-2019 से अनुशंसित 248 उम्मीदवारों और सीजीएलई-2020 से अनुशंसित 374 उम्मीदवारों को नियुक्ति का अनंतिम प्रस्ताव जारी किया है।

हाल के वर्षों के दौरान, एनएसएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) जैसे कई नए सर्वेक्षण किए गए हैं। चूंकि नियमित जनशक्ति सीमित है, इसलिए इन सर्वेक्षणों का फील्ड कार्य जनशक्ति एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। फील्ड में भेजे जाने से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों को विधिवत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, फील्ड में एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी कर्मचारियों द्वारा फील्ड निरीक्षण और जांच के माध्यम से उनके काम की निगरानी की जाती है। मंत्रालय ने नियमित आधार पर शुरू की जाने वाली नई सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए अतिरिक्त नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव लिया है। जब तक इस तरह के अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक जनशक्ति एजेंसियों के माध्यम से जनशक्ति को लगाया जा रहा है।"

4.12 परियोजना कार्यान्वयन में समय और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों के बारे में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत्को उपर्युक्त के लिए कई कारकों में से एक के रूप में बताया:

"कुशल जनशक्ति/श्रम की कमी".

4.13 जमीनी स्तर पर कर्मचारियों के नियोजन के बारे में पूछे जाने पर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत् बताया:

"फाइल्ड ऑपेरेशन डिवीजन (एफओडी), एनएसएसओ में कर्मचारियों का जिला-वार आबंटन नहीं किया गया है। सामान्यतः, 3-4जिले एक उप क्षेत्रीय कार्यालय के तहत कवर किए जाते हैं। अतः कर्मचारियों का आबंटन क्षेत्र-वार/उप-क्षेत्र-वार होता है। जारी सर्वेक्षणों के लिए प्रभाग में फील्ड स्टाफ के रूप में3238 नियमितअधिकारियों की और 5382संविदा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है। संवर्धित स्टाफ की संख्या सर्वेक्षणों की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है।"

अध्याय पांच

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 से राष्ट्रव्यापी रूप से आरंभ किया गया । पीएलएफएस के मुख्यत: दोहरे उद्देश्य हैं (i) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीनों के थोड़े समय के अंतराल में श्रमबल संकेतकों को मापना (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और सीडब्ल्यूएस वार्षिक दोनों तरह से सभी महत्वपूर्ण श्रम शक्ति मापदंडों का अनुमान लगाना ।

5.2 शहरी क्षेत्रों में पीएलएफएस के लिए घूर्णी पैनल नमूना डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है । दो साल की अवधि की घूर्णी योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए नमूना फ्रेम अपरिवर्तित रहता है । जो पैनल दो साल से उपयोग में था, उसे जुलाई, 2021 से एक अपडेटेड पैनल से बदल दिया गया है । अपडेटेड पैनल जुलाई 2023 तक अपरिवर्तित रहेगा । वर्तमान पैनल (जुलाई 2021-जून 2023) ई-सिग्मा प्लेटफॉर्म में प्रगति पर है ।

5.3 2020-21 के लिए पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई थी। अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन मार्च 2022 में जारी किया गया था, जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन मार्च 2022 में जारी किया गया था, अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन मई 2022 में जारी किया गया था और जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन जून 2022 में जारी किया गया था। अप्रैल-जून 2022 तिमाही के लिए पीएलएफएस का बुलेटिन अगस्त 2022 में जारी किया गया था, जुलाई-सितंबर 2022 तिमाही के लिए पीएलएफएस का बुलेटिन नवंबर 2022 में जारी किया गया था।

5.4 मंत्रालय ने बिंदुओं की सूची के अपने उत्तरों में पीएलएफएस पर अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

(एक) "नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने अप्रैल 2017 में श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की शुरुआत की। पीएलएफएस का उद्देश्य प्राथमिक रूप से दोगुना है:

(दो) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के कम समय के अंतराल में मुख्य रोजगार औरबेरोजगारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना ।

प्रतिवर्ष दोनों सामान्य स्थिति [मुख्य स्थिति+ सहायक स्थिति (पीएस + एसएस)] और दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीडब्ल्यूएस में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

एसडीआरडी ने इस तरीके से पीएलएफएस के लिए सैम्पलिंग डिजाइन तैयार किया है कि श्रम बल संकेतकों का तिमाही अनुमान प्रतिदर्श की व्यवहारिक संख्या के साथ शहरी क्षेत्रों के लिएबनाया जा सकता है।"

5.5 यह प्रश्न पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएलएफएस रिपोर्ट कब जारी की गई थी , मंत्रालय ने, अन्य बातों के साथनिम्नवत् बताया ,साथ-:

"अक्टूबर से दिसंबर तिमाही, 2022 के लिए पीएलएफएस की नवीनतम रिलीज 24 फरवरी, 2023 को की गई है। यह तिमाही के अंत के बाद दो माह के भीतर किया जाता है। हमने 24 फरवरी को 2021-22 के लिए वार्षिक पीएलएफएस के आंकड़े भी जारी किए हैं।"

5.6 अनुदानों की मांगों 2023-24 के माध्यम से प्रावधान की गई समिति की सिफारिशों के बारे में पूछे जाने परसा , ंख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नवत् बताया:

"यह भी कहा जा सकता है कि एनएसएसओ ने एनएसएस सर्वेक्षणों के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण के लिए एंड्रॉइड आधारित वेब सक्षम मॉड्यूलर सर्वेक्षण अनुप्रयोग विकसित किया है।पीएलएफएस को 13 सितंबर 2021 को इस एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया था। सीएपीआई (कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू) एप्लिकेशन का कोर मॉड्यूल है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हैंड-हेल्ड टैबलेट के माध्यम से इन-बिल्ट सत्यापन के साथ क्षेत्र में डेटा कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही से शुरू हुआ और वर्तमान में, पीएलएफएस में डेटा संग्रह पूरी तरह से इस एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया समय के साथ स्थिर हो गई है। इससे पीएलएफएस तिमाही (शहरी) परिणाम कम समय अंतराल के साथ जारी किए जा सके हैं।"

5.7 यह पूछे जाने पर कि क्या पीएलएफएस के तहत 30 दिनों से अधिक के स्वरोजगार को रोजगार माना जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत् बताया:

"अब तक, एमओएसपीआई ने पीएलएफएस की पांच वार्षिक रिपोर्ट और 17 त्रैमासिक बुलेटिन जारी किए हैं। पीएलएफएस 2021-22 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 24 फरवरी, 2023 को जारी की गई है। अक्टूबरदिसंबर-, 2022 के लिए नवीनतम त्रैमासिक बुलेटिन 24 फरवरी, 2023 को फील्ड वर्क पूरा होने के दो माह के भीतर जारी किया गया है।"

5.8 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय एमओएसपीआई के तहत जारी किए गए प्रत्येक डेटा और सर्वेक्षण के लिए पूर्व निर्धारित कैलेंडर रखता है, तो मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने मौखिक साक्ष्य में निम्नवत् बताया:

"रिलीज कैलेंडर पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। इस संबंध में, यदि मैं विनिर्दिष्ट कर सकता हूं, तो सामान्यतः, हमारे पास अपने सभी नियमित उत्पादों के लिए एक पूर्वविनिर्दिष्ट रिलीज कैलेंडर है। - चूंकि भारत आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानकों के अनुरूप है, जीडीपी के मामले में, हम

तिमाही के अंत से दो माह के भीतर तिमाही अनुमान जारी कर रहे हैं, और यह एसडीडीएस सिफारिश के अनुसार हैजहां यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक तिमाही की सिफारिश अगली , तिमाही के भीतर जारी की जानी चाहिए। इसलिए, हम इसे दो माह के समय में कर रहे हैं।

इसी प्रकार माह के अंत तक हम इसे कन्सूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के मामले मे 12 दिन मे जारी कर रहे हैं जो दुनिया मे सबसे तीव्र है।

यदि हम औद्योगिक उत्पादन का आईआईपी सूचकांक देखें तो हम इसे माह के अंत से 42 दिनों के भीतर जारी कर रहे हैं। इसलिए, इन सभी पर हम लगातार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन मामलों में वांछित दिशास्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन इस सेवा के निर्देशों के साथ-लिए, जिसमें बहुत निश्चित आवधिकता नहीं है, अक्सर हमारे पास पहले से निर्धारित रिलीज कैलेंडर नहीं होता है। इस संबंध में आपके सुझाव को नोट किया गया है।"

अध्याय छह

सातवीं आर्थिक जनगणना

7वीं आर्थिक गणना (ईसी) 2019-21 की अवधि के दौरान एकछत्र योजना क्षमता विकास के तहत केंद्रीय क्षेत्र उप योजना के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है । आर्थिक गणना औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की कुल संख्या और भूगोल के निम्नतम स्तर पर अन्य क्रॉस-सेक्शनल मापदंडों के साथ काम करने वाले श्रमिकों की संख्या प्रदान करता है ।

6.2 सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एसपीवी) को डेटा संग्रह/पर्यवेक्षण, आईटी प्लेटफॉर्म के विकास आदि के लिए प्रगणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी का कार्य सौपा गया है । 7वीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य वर्ष 2019 के दौरान चरणबद्ध तरीके से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था और 31 मार्च, 2021 को (पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों को छोड़कर) पूरा किया गया था ।

6.3 आर्थिक गणना में शुरू से अंत तक आईटी कार्यान्वयन ने वास्तविक समय फील्डवर्क, निगरानी, पर्यवेक्षण, वास्तविक आंकड़ा विश्लेषण और रिपोर्ट निर्माण/प्रसार के लिए सुविधा प्रदान की है । भविष्य के सर्वेक्षणों, प्रतिष्ठानों की निर्देशिका, आदि के लिए नमूना फ्रेम, 7वीं आर्थिक गणना परिणामों से नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों आदि को उनके साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में लाभ होने की आशा है ।

6.4 7वीं आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया में आईसीटी अनुप्रयोग के उपयोग के साथ किए गए सुधारों और दक्षता के बारे में प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"पिछले छह आर्थिक जनगणनाओं में, डेटा संग्रह गतिविधि कागजआधारित अनुसूची पर की गई थी। डेटा - डिजिटलीकरण के अभाव में संग्रह में; फील्डवर्क और पर्यवेक्षण की वास्तविक समय निगरानी, डेटा गुणवत्ता और मध्यमार्ग सुधार- के लिए समवर्ती डेटा विश्लेषिकी, आदि बड़ी चुनौतियां थीं।

7वीं आर्थिक जनगणना में पहली बार, सीएससी द्वारा किए जा रहे फील्डवर्क की वास्तविक समय की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए व्यापक आईटी सिस्टम बनाए गए थे। 7वीं ईसी के फील्डवर्क के दौरान फील्डवर्क और द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षण (एसएल -2) का विवरण एमआईएस डैशबोर्ड पर परिलक्षित हुआ था, जिसके प्रमाण पत्र एनएसओ (एफओडी), राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार और एमओएसपीआई के पास समवर्ती निगरानी के लिए उपलब्ध थे। एमआईएस डैशबोर्ड एसएल-2 गतिविधि की वास्तविक समय निगरानी के लिए जिला/एसआरओ/आरओ/राज्य राजधानी/जोन/राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध था। एमओएसपीआई में स्थापित कमांड सेंटर द्वारा डेटा एनालिटिक्स, आईटी अनुप्रयोगों और व्यापक समन्वय की सुविधा प्रदान की गई थी और 7वीं ईसी परियोजना में समवर्ती निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिए

क्र.सं.	सीडी योजना के घटकों का नाम	बजट परिव्यय 2022-23 (करोड़ रुपये में)	बजट परिव्यय2023-24 (करोड़ रुपये में)	% वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	क्षमता विकास (मुख्य)	452.46	527.38	16.56%
2.	सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उप योजना -(एसएसएस)	52.63	10.31	-80.41%
3	आर्थिक सर्वेक्षण उप योजना -(ईसी)	57.01	62.31	9.30%
क्षमता विकास योजना (कुल)		562.10	600.00	6.74%

बचत के घटक/उप-योजना वार कारण

एसएसएस उप-योजना-

योजना के अंतर्गत-एसएसएस उप, राज्योंयोजना के अंतर्गत -जिनके साथ उप, क्षेत्रोंसंघ राज्य / संचालित की जाने वाली गतिविधियों और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों/परिणामों से निरूपित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों के लिए निधियां जारी की जाती हैं ।समझौता ज्ञापन की अवधि सामान्यतः वर्ष होती है । समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद 3, सहायता अनुदान के रूप में निधियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए किस्तों में जारी की जाती हैं । जब प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाती है, तब परवर्ती किस्तें पिछली किस्तों की 80% उपयोगिता और अनुरूप वास्तविक प्रगति की उपलब्धि के अध्यधीन जारी की जाती हैं ।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट/संशोधित अनुमानों के संबंध में निधियों की कुल आवश्यकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी मासिक प्रगति रिपोर्ट एमपी)आरमें यथासूचित वास्तविक और वित्तीय (के लिए 22-2021 प्रगति पर आधारित उनकी प्रगति के मूल्यांकन के बाद निकाली जाती है वित्तीय वर्ष करोड़ रुपए का बीई तद्नुसार तैयार 52.63 के लिए 23-2022 का बीई और वित्तीय वर्ष .करोड़ रु 33.44 योजना के अ-किया गया था । एसएसएस उपंतर्गत व्यय उपयोजना का कार्यान्वयन करने वाले - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई मांगों पर निर्भर है । वर्तमान में कार्यान्वयन कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनसे अपेक्षित था कि वे वर्ष मांगेंगेके दौरान अपनी दूसरी या तीसरी किस्त 23-2022, ने अपेक्षानुसार अधिक निधि जारी करने का अनुरोध नहीं किया है । इस प्रकार, वित्तीय वर्ष में 23-2022 पए तक कम किया गया है ।करोड़ रु 7.55 करोड़ रुपए से 52.63 आवंटन आरई चरण पर

7.5 28.02.2023 को समिति के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य के दौरानडीडीजी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसएसएस पर निम्नवत् बताया:

"सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मूल रूप से राज्य सरकारों को सांख्यिकीय कार्यकरण के लिए उनकी क्षमता में सुधार करने हेतु निधियां प्रदान करते हैं।उप योजना के-अंतर्गत, राज्यों को उनके साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार निधियां तीन किस्तों में अंतरित की जाती हैं। अब तक, 26राज्यसंघ /राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/ कार्यान्वयन किया है।/योजना का कार्यान्वयनकर रहे हैं-राज्य क्षेत्रों ने इस उप26में से 11 राज्यों ने उप योजना कार्यान्वित कर दी है। यह-2010में शुरू हुआ और राज्यों को 331.6करोड़ रुपये जारी किए गए। 2023-24के लिए बजट अनुमान 10करोड़ रुपये है।अब जब राज्यों से मांगें नहीं आ रही हैं, तो इसे घटाकर 10.31करोड़ रुपये कर दिया गया है।वर्तमान में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय के लिए भुगतान करने के लिए 2023-24 में निधियां प्रदान की गई हैं और आठ नए राज्यों में उनकी इच्छा के आधार पर भाग लेने के लिए वित्त पोषण की परिकल्पना की गई है।"

7.6 2022-23 में एसएसएस उप योजना के लिए बजट परिव्यय 52.63 करोड़ रुपये था। यह 2023-24 में घटकर 10.31 करोड़ रुपये रह गया है। एसएसएस उप योजना के बजट परिव्यय में 80 प्रतिशत की कमी की गई है। भारी गिरावट के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथसाथ निम्नवत् बताया-:

"सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन "(एसएसएस) राज्य क्षेत्रों वित्तीय संघ / जिसके तहत राज्यों ,योजना है-मंत्रालयकी एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की उप को सहायता प्रदान की जाती हैताकि उनके साथहस्ताक्षरित एक बारगी समझौता ज्ञापन में यथा निर्दिष्ट सांख्यिकीय गतिविधियों का संचालन किया जा सकें ।

स्थापना में 2010 योजना में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है।-संघ राज्य क्षेत्रों ने इस उप /राज्यों 34 ,संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं /राज्यों 26 के बाद से अब तक संघ राज्य क्षेत्रों ने एसएसएस उप योजना का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है /राज्यों 11 जिनमें से राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन के विभिन्न संघ/राज्य 12 राज्यों का कार्य पूरा होने के समीप हैं। 3 और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किए जाने के प्रयास /राज्यों 8 चरणों में हैं। शेष किए जा रहे हैं।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित राज्यसंघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के / जारी की जाती है। जबकि पहली किस्त अग्रिम के रूप में जारी रूप में किश्तों के रूप में निधियाँ %80 बाद की किश्तें पिछली किस्तों के ,की जाती हैउपयोग और आनुपातिक वास्तविक प्रगति की उपलब्धि के रूप में जारी की जाती हैं।

एक विशेष वित्तीय वर्ष में बजटभौतिक और संशोधित अनुमान के अनुसार निधियों की कुल मांग/ संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का निर्धारण करने के बाद जैसा कि /वित्तीय प्रगति पर आधारित राज्यों

उनके मासिक प्रगति रिपोर्ट उसका कार्य किया जाता है। वित्तीय ,में बताया गया है (एमपीआर) ,या था। तथापिकरोड़ रुपए का बीई तदनुसार निरूपित किया ग 52.63 के लिए 23-2022वर्ष के दौरान उनके दूसरे या 23-2022 जिसे वर्ष ,संघ राज्य क्षेत्रों के वर्तमान कार्यान्वयन ने/राज्यों तीसरे किस्तों में मांगने की उम्मीद की जा रही हैअपेक्षानुसार आगे के लिए जारी की गई राशि , की मांग नहीं की है।

राज्य 21-2020म निधियों की मांग नहीं उठा सकने की प्रमुख वजहसंघ राज्य क्षेत्र द्वारा अग्रि / संघ राज्य क्षेत्र /राज्य ,में कोविड महामारी के कारण 22-2021और अपेक्षित गति से निर्धारित गतिविधियां नहीं कर सके तक निधि उपयोग में कमी आई । 23-2022 जिससे वर्ष ,

वित्त वर्ष केवल वर्तमान में लागू (बीई) का बजट अनुमान करोड़ रुपये 10.31 के लिए 24-2023 संघ राज्य क्षेत्रों के व्यय की मौजूदा गति पर सावधानीपूर्वक और /राज्योंगहन विचार के बाद प्रस्तावित किया गया हैमें उनकी बाद की किस्तों की मांग बढ़ा सकता है । निधियों 24 -2023 जो , करोड़ रुपये प्रस्तावित 10.31 ते हुए भी बजट अनुमानके उपयोग की पिछली प्रवृत्ति को देख संघ राज्य क्षेत्रों क/किया गया है। कार्यान्वयन करने वाले राज्योंी अवशोषण क्षमता की गहन जांच के बादकी आरई स्तर पर मांग की जाएगी। ,तो अतिरिक्त निधियों यदि आवश्यक हो ,

मंत्रालय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करके और नियमित पत्राचार के माध्यम से उपयोजना - संघ राज्य क्षेत्रो /के सुचारू संचालन और सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ सख्ती से पालन कर रहा है।

इसके अलावायोजना के समझोता ज्ञापनों के तहत वर्तमान -यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप , संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए /वाले राज्यों में कार्यान्वयन करने ,पर्याप्त समय प्रदान किया जाता हैमंत्रालय ने उन्हें समझोता ज्ञापन के कार्यान्वयन की समय अवधि में विस्तार भी प्रदान किया है ।"

अध्याय आठ

परियोजनाओं की निगरानी और अवसंरचना

8.1 मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) विंग का अवसंरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक समय और लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है। 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले संबंधित मंत्रालय/एजेंसियां ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर डेटा अपलोड करती हैं, जो कि एमओएसपीआई द्वारा विकसित और अनुरक्षित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एमओएसपीआई मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा दर्ज आंकड़ों का मिलान करता है और मासिक फ्लैश रिपोर्ट (एफआर) और त्रैमासिक परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट (क्यूपीआईएसआर) जारी करता है। नवंबर 2021 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग महीने के लिए मासिक फ्लैश रिपोर्ट जारी करने की समय सीमा 50 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में संबंधित मंत्रालयों के साथ मंत्रालय के निरंतर पत्राचार के माध्यम से, ओसीएमएस में केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। अगस्त 2021 माह से मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मंत्रालय के ओसीएमएस पर 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की रिपोर्टिंग 92% से अधिक रही है। 01 दिसंबर, 2022 तक, लगभग 20,84,124.75 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,476 परियोजनाएं इस मंत्रालय की निगरानी में थीं, जिनमें से 756 परियोजनाएं विलंबित हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 364 परियोजनाओं के लिए कुल लागत में 4,52,054.28 करोड़ रुपये की वृद्धि की सूचना दी गई थी। वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022-नवम्बर, 2022) के दौरान 1,80,047.86 करोड़ रुपये की पूर्णता लागत वाली कुल 180 परियोजनाएं पूरी हुई हैं।

8.2 आईपीएमडी मासिक उत्पादन के साथ-साथ संचयी उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में मासिक आधार पर 11 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी भी करता है। अक्टूबर 2022 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन पर नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, बिजली उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादन, राजस्व अर्जित करने वाले माल रेलवे में यातायात, और हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर नियंत्रित यात्री यातायात अपने लक्ष्यों से अधिक था। कोयला उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चे तेल का उत्पादन, प्राकृतिक गैस उत्पादन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्गों का उन्नयन, मौजूदा कमजोर फुटपाथ का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा सवारी की गुणवत्ता में सुधार, हवाई अड्डों पर नियंत्रित निर्यात और आयात कार्गो और हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनल पर संभाला जाने वाला यात्री यातायात शामिल हैं।

8.3 यह पूछे जाने पर कि आईपीएमडी के तहत कितनी परियोजनाओं में समयलागत में वृद्/धि हुई है और इस प्रकार के विलंब की औसत अवधि के साथसाथ निगरानी की जा रही परियोजनाओं की संख्या के - साथ लागत में कितनी वृद्धि हुई है, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया लिखित उत्तर दिया:

"01.02.2023 को 1454 केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाएं मंत्रालय के ओसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध थी। 1454 परियाजनाओं में से 871 परियोनाओं में लगभग 40 महीने की औसत देरी के साथ समय वृद्धि थी और 335 परियोजनाओं में रु. 4.46 लाख करोड़ की लागत वृद्धि थी।".

8.4 परियोजना के कार्यान्वयन में समय और लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आईपीएमडी द्वारा की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:

"लागत वृद्धि के कारण योजना विशिष्ट हैं, विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक कारकों पर निर्भर करते हैं, और परियोजनाअलग हैं । हालांकि जैसा कि इस मंत्रालय के -वार अलग-ओसीएमएस पोर्टल पर परियोजना कार्यान्वयी एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, परियोजना की लागत में वृद्धि के मुख्य कारण हैवास्तविक कीमत को कम आंकना :, विदेशी मुद्रा और सांविधिक शुल्कों में बदलाव; पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और पुनर्वास उपायों की उच्च लागत;भूमि अधिग्रहण की बढ़ती हुई कीमतें; कुशल श्रमशक्ति मजदूरों की कमी/;परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन; उपकरण सेवाओं के विक्रेताओं द्वाराएकाधिकार मूल्य निर्धारण, सामान्य कीमतों में वृद्धिमुद्रास्फीति और / समय वृद्धि । कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसारपरियोजनाओं के समय पर पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण हैं; कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे,भूमि अधिग्रहण में विलम्ब और पर्यावरण एवं वनसंबंधी अनुमति धनकी कमी-,पुनर्वास और पुनः स्थापन विषय, स्थानीय निकायनगर निगम कीअनुमति/, उपयोगिता स्थानांतरण, संविदात्मक मुद्दे आदि ।

मंत्रालय का आईपीएमडी सभी संबंधित मंत्रालयों को पत्र भेजकर विलंब/लागत में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालता है ताकि तदनुसार कार्रवाई की जा सके।उठाए गए अन्य कदम हैं: प्रगति के अंतर्गत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा के बारे में सूचना, जब भी पीएमओ द्वारा वांछित हो; माननीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के दौरान राज्य में चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजना की स्थिति पर जानकारी: कठोर परियोजना मूल्यांकन; बेहतर निगरानी के लिए ऑन-लाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस); और अड़चनों को दूर करने तथा प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सी.एस.पी.सी.) की स्थापना करना।"

टिप्पणियां सिफ़ारिशें/

क्षमता विकास योजना (सीडी)

1. समिति नोट करती है कि क्षमता विकास योजना के अंतर्गत वर्ष (सीडी)2021-22 में 598.36 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में निधि उपयोग में 357.66 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 562.10 करोड़ के बजट आवंटन की तुलना में 344.27 करोड़ रुपये)62.24% की कमी की कमी आई है । मंत्रालय द्वारा इन कमियों के (बारे में बताए गए कारणों में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय सीमादिशानिर्देश/प्रतिबंध/, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मुद्दे जिसके कारण दौरों में कमी आई, अधिकारियों का प्रशिक्षण, कार्यशालाएंसेमिनार आदि शामिल हैं।/समिति पाती है कि सीडी शीर्ष के अंतर्गत कई परियोजनाओं को निष्क्रिय छोड़ दिया गया है ।

2. समिति नोट करती है कि प्रमुख शीर्ष 2552 एनएसओ और एसएसएस उप योजना द्वारा - विभिन्न गतिविधियों के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र कोनिधियां जारी करने के संबंध में, 2023-24 में निधि परिव्यय में 57.8% की सीमा तक कमी की गई है। मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि निधियों में पर्याप्त कमी राज्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति और निधियों के उपयोग की आंशिक प्रवृत्ति के आधार पर की गई थी। इसलिएसमिति यह सुझाव , देती है कि मंत्रालय को निधियों के उपयोग न होने के कारणों की पहचान करनी चाहिए और उसको यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए कि आबंटित निधियों का उपयोग किया जाए, योजनाओंकार्यकलापों के लिए / पर्याप्त रूप से प्रावधान किया जाए और उनका समुचित रूप से पोषण किया जाए तथा उनका पुरजोर तरह से कार्यान्वयन किया जाए ।

3. समिति ने एमपीलैड योजना से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारविमर्श - :किया जैसे

.एक सभी संसद सदस्यों से पूर्ण रूप से परामर्श किए बिना एमपीलैड दिशानिर्देशों की समीक्षा।

.दो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में संसद सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई।

.तीन योजना के अंतर्गत सिफ़ारिश की गई परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब।

.चार योजना के अंतर्गत एमपीलैड निधि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की आवश्यकता।

.पांच एमपीलैड योजना के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी छूट।

ये मुद्दे जटिल हैं और व्यवहार्य समाधानों की पहचान करने के लिए, जो प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें ,इन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, समिति इस विषय की पृथक रूप से विस्तृत जांच करने का निर्णय लेती है।

<u>जनशक्ति की कमी</u>

4. समिति ने चिंता के साथ यह नोट किया है कि मंत्रालय में, विशेष रूप से वरिष्ठ और कनिष्ठ सांख्यिकी कार्यालय संवर्ग में जनशक्ति की कमी है; 30 नवंबर, 2022 को, 266 रिक्तियां मौजूद हैं जो कुल स्वीकृत संख्या का लगभग 33% है। इसलिए समिति मंत्रालय से कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष भ (एसएससी)र्ती के मामले को जोरइस शोर से उठाने की सिफारिश करती है ताकि- वित्तीय वर्ष में रिक्तियों को भरा जा सके। एनएसएसओ में फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में जनशक्ति की कमी के संबंध में, समिति मिशन मोड के आधार पर अधिक फील्ड आधारित कर्मचारियों की भर्ती करने की सिफारिश करती है।

<u>आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पी एल एफ एस))</u>

5. मंत्रालय का प्रत्युत्तर, 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुरू किए गए (एनएसओ) के महत्व (पीएलएफएस) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणको इंगित करता है। सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों के वार्षिक अनुमान लगाने में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आवश्यक सामाजिकआर्थिक अंतर्दृष्टि प्रदान - करता है। समिति पाती है कि मंत्रालय ने पीएलएफएस प्रतिवेदनों को जारी करने में लगने वाले समयकी अंतराल को दूर करने के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में पहल- है। अप्रैल – जून , 2021 तिमाही के लिए पीएलएफएस का त्रैमासिक बुलेटिन मार्च 2022 में जारी किया गया था, मार्च 2022 में जुलाई सितंबर-2021 के लिए, अक्टूबर दिसंबर-2021 के लिए मई, 2022 में जारी किया गया था , जून 2022 में जनवरी मार्च-2022 के लिए, अप्रैल जून-2022 तिमाही के लिए अगस्त 2022 में और जुलाई सितंबर-2022 के लिए नवंबर, 2022 में जारी किया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय पीएलएफएस सर्वेक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्राथमिकता देना जारी रखे, जैसे डेटा प्रोसेसिंग की दक्षता में सुधार और मैनुअल त्रुटियों को कम करने के लिए डेटा एनालिटिक्स टूल और स्वचालन तकनीक है।

<u>पूर्व निर्धारित वार्षिक कैलेंडर</u>

6. समिति नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों और सर्वेक्षणों का प्रकाशन नियमित रूप से नहीं किया गया है। नीति निर्माण और योजना के लिए समय पर और विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता पर और अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। इस मुद्दे के समाधान के लिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों के

प्रकाशन के लिए विशिष्ट तिथियों का एक पूर्व निर्धारित कैलेंडर बनाए। इस कैलेंडर को व्यापक रूप से सभी हितधारकों को प्रसारित किया जाना चाहिए, और इसमें एमओएसपीआई के अन्तर्गत जारी किए गए विभिन्न आंकड़ों के प्रकाशन के लिए स्पष्ट समय सीमा शामिल होनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रकाशन कड़ाईपूर्वक पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार हो। सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रकाशन के लिए एक पूर्व निर्धारित कैलेंडर स्थापित करने से अधिक पूर्वानुमान और पारदर्शिता मिलेगी और हितधारक बेहतर योजना बनाने और निर्णय लेने में सक्षम बनेंगे। समिति का मानना है कि आंकड़ा चालित सं-निर्माण को बढ़ावा देने और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक -नीति है। इसलिए समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रकाशन के लिए विशिष्ट तिथियों का एक पूर्व निर्धारित कैलेंडर स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि इस कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाए।

आर्थिक जनगणना

7. समिति समझती है कि आर्थिक जनगणना देश में सभी (ईसी) प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों के प्रसारसमूहों/, स्वामित्व पैटर्न पद्धति, वित्त के स्रोत आदि के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2019 में शुरू किए गए, 7 वीं आर्थिक जनगणना के बारे में, मंत्रालय ने बताया कि उन्नत आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके, 7 वीं आर्थिक जनगणना मार्च 2021 में पूरा हुई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी सहित कई परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण 7 वीं आर्थिक जनगणना के आंकड़े संग्रहण और पर्यवेक्षण प्रभावित हुए थे।7 वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को, अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है क्योंकि विभिन्न राज्य स्तरीय समन्वय समितियों से अनंतिम परिणामों की स्वीकृति प्राप्त की जानी बाकी है। समिति नोट करती है कि 7 वीं आर्थिक जनगणना जारी करने में देरी हुई है। अतः प्रकार समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्य स्तर पर आंकड़े संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए और आवश्यक आंकड़े प्रदान करने में, आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करे। मंत्रालय को उन राज्यों को अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए जो आंकड़े प्रदान कराने के मामले में सांख्यिकीय क्षमता बाधाओं का सामना कर रहे हैं। समिति इस बात पर बल देती है कि सटीक और सुसंगत जनगणना आंकड़ों को समय पर जारी करना नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस)

8. समिति नोट करती है कि सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण योजना के लिए -उप (एसएसएस) सहायता हेतु बजट आवंटन में2022-23 में 52.63 करोड़ रुपये से 2023-24 में केवल 10.31 करोड़ रुपये की कमी है , जो 80% की गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कमी के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों में व्यय की मौजूदा गति और निधियों के कम उपयोग की पिछली

प्रवृत्ति शामिल है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय गत वर्षों की निधि उपयोग की व्यापक समीक्षा करे और निधियों के कम उपयोग के विशिष्ट कारणों की पहचान भी करे। समिति यह भी महसूस करती है कि मंत्रालय को प्रगति को ट्रैक करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एसएसएस उप योजना की निगरानी और मूल्यांकन में सुधार करने के उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए। समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि योजनाओंकार्यकलापों को पर्याप्त रूप से प्रावधा/न किया जाना चाहिए इन्हें और व्यवस्थित रूप से पोषित किया जाना चाहिए तथा सख्ती से इनको कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकेजिस प्रकार से उसकी परिकल्पना की गई थी,।

परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे की निगरानी

9. समिति नोट करती है कि मंत्रालय के अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग को (आईपीएमडी)11 प्रमुख क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी का अधिदेश दिया गया है।आईपीएमडी एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में कार्य करता है और धीमी गति से चलने वाली परियोजनाओं की निगरानी करता है। समिति यह भी नोट करती है कि 01.02.2023 तक मंत्रालय के ओसीएमएस पोर्टल पर 1454 केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं चल रही थीं; लगभग 60 प्रतिशत परियोजनाओं में लगभग 40 महीने के औसत विलंब के साथ समय वृद्धि हो रही है और 335 परियोजनाओं में 4.46 लाख करोड़ रुपये की लागत वृद्धि हुई है।परियोजनाओं में समय और लागत वृद्धि के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों में मूल लागत का कम आकलन, विदेशी मुद्रा और सीमा शुल्क की दरों में परिवर्तन, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण लागत वृद्धि जैसे कारक शामिल हैं। समिति यह स्वीकार करती है कि तंत्र विद्यमान हैं और कुछ उल्लिखित कारकों से बचा नहीं जा सकता है।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक मंगलवार, 28 फ़रवरी, 2023 को 1100 बजे से 1300 बजे तक
समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री हेमंत पाटिल
9. श्री रवि शंकर प्रसाद
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. प्रो. सौगत राय
12. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
13. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी

राज्य सभा

16. डॉ राधा मोहन दस अग्रवाल
17. श्री राघव चड्ढा
18. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
19. श्री सुशील कुमार मोदी
20. डॉ. अमर पटनायक
21. डॉ सी. एम. रमेश
22. श्री जीनरसिंहा राव .एल .वी .

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1. श्री अरुण कुमार बिस्वास, डीजी (सी एवं ए)
2. श्री जयंत सिन्हा, एएस एवं एफए
3. श्री आलोक शेखर, अपर सचिव (पी आई)
4. श्रीमती निवेदिता गुप्ता, डी जी (सांख्यिकी)
5. श्री घनश्याम, ए डी जी (आई आई आई सी यू)
6. श्री पी.आर. मेश्रम, ए डी जी (कंप्यूटर केंद्र)
7. श्री तनवीर क़मर मुहम्मद, संयुक्त सचिव (प्रशासन)
8. श्री अरिंदम मोदक, डी डी जी (पी आई)
9. श्री पंकज श्रीवास्तव, डी डी जी (ई सी)
10. सुश्री संघमित्रा बंद्योपाध्याय, निदेशक, आई एस आई कोलकाता
11. श्री प्रवीण शुक्ला, डी डी जी (एफ ओ डी)
12. श्रीमती चेतना शुक्ला, डी डी जी (एफ ओ डी)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। प्रथागत परिचय के उपरांत मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के अधिदेश और बजट आवंटन पर एक पावरप्वाइंट प्रस्तुति दी। बाद में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड), जनगणना के लिए डेटा संग्रहण और डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, सरकारी आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदम, 7 वीं आर्थिक जनगणना, श्रम सांख्यिकी जारी करने में होने वाली विलम्ब, भारत में सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एमपीलैड योजना पर संशोधित दिशानिर्देश, निधि प्रवाह को प्रशासित करना, संसद सदस्यों से परामर्श किए बिना एमपीलैड दिशानिर्देशों में संशोधन, एमपीलैड योजना पर जारी नवीनतम प्रारूप दिशानिर्देशों की समीक्षा, क्षमता विकास योजना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ऐसी योजना को सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के समर्थन के लिए कम बजटीय परिव्यय, एमपीलैड योजना के अंतर्गत उपायुक्त की वीटो शक्ति को समाप्त करना, एमपीलैड योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त करना, एमपीलैड विकास कार्यों का बहिष्कार या जीएसटी से उपकरण खरीदने पर पूंजीगत व्यय, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में पद्धतिगत

परिवर्तन और अन्य योजनाएं, एमपीलैड के साथ सीएसआर निधि के एकीकरण का प्रकाशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण की विशिष्ट तिथियों के लिए पूर्व निर्धारित कैलेंडर, मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने या समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम, सर्वेक्षण की गुणवत्ता, डेटा संग्रह गतिविधियों, कार्यप्रणाली और बाद के विश्लेषण के संदर्भ में हस्तक्षेप, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकीय डेटा बुक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से आईएसआई को अलग करना शामिल हैं।

3. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए और सभापति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए उन बिंदुओं के लिखित उत्तर, जिनके उत्तर तत्काल नहीं दिये जा सके, एक सप्ताह में इस सचिवालय को प्रस्तुत करें ।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1720 बजे तक
समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री हेमंत पाटिल
11. श्री रवि शंकर प्रसाद
12. प्रो .सौगात राय
13. श्री गोपाल शेट्टी
14. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री मनीश तिवारी
16. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
17. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ .अमर पटनायक
20. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
21. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

भाग-एक

2. XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात साक्षी सक्ष्य देकर चले गए।)

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया।

(i) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर चौवनवां प्रतिवेदन।

(ii) राजस्व मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर पचपनवां प्रतिवेदन।

(iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर छप्पनवां प्रतिवेदन।

(iv) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर सतावनवां प्रतिवेदन।

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर अठावनवां प्रतिवेदन।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।